बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि २८ फरवरी, १९५६ को १० बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

General Discussion on the Budget for 1956-57.

श्री देवकीनन्दन झा—अध्यक्ष महोदय, उस दिन मैं कह रहा था कि सबसे पहले

हमको रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर बोलना है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट पर इसलिए बोलना है कि बिहार में ज्यादातर रेवेन्यू से लोग संबंधित हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारनामों से आम लोगों को हमने फायदा पहुंचाया है या नुकसान पहुंचाया है यह देखना है। तो सबसे पहले मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रेकर्ड ऑफ राइट का ठिकाना नहीं है। खतियान जो सर्वे के समय बना उसका सर्वे के समय से आज तक कोई रिवीजन नहीं हुआ है। बंगाल और बिहार में जमींदारी प्रथा थी और इस प्रथा के वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और उसके बाद कांग्रेस सरकार ने भी इसका रिवीजन नहीं किया। जमीन हस्तांतरित कई बार सर्वे के बाद हो चुकी है जमीन का नक्शा बदल चुका है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लैंड रिफार्म्स के नाम पर क्या कर सकती है जब कोई सर्वे का रेकर्ड अप-टू-डेट नहीं है? इस बजट में बहुत हमने देखा कि रेकर्ड ऑफ राइट को ठीक करने के लिए कोई प्रावीजन होगा, लेकिन ऐसा कोई प्रॉवीजन नहीं है। एक स्कीम बुझारत की है जो अनियंत्रित है। उसको देखने वाला या करने वाला सिर्फ एक ४०, ४५ रुपया पाने वाला आदमी है, वही उसका खुदसर मालिक है। कर्मचारी देहातों में जाकर बुझारत करता है और आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि जो भी व्यक्ति चाहता है कह देता है कि जमीन उसकी बटाई में है और बटाईदारी लिखवा लेता है। बटाईदारी बिल पेश होने के दो वर्ष पहले ही रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने एलान कर दिया कि बटाईदारी के संबंध में वह कानून बनाने जा रहे हैं जिसका यह नतीजा हुआ कि गरीब लोग जो बटाईदारी में जमीन जोतते थे उनसे अपनी जमीन लोगों ने निकाल ली। लगभग ७५ प्रतिशत ऐसा हुआ है। और आज ऐसे लोग बटाईदारी लिखवा रहे हैं जो कभी भी बटाईदारी की जमीन नहीं जोतते थे सिर्फ इस बल पर कि मुकदमा से या लाठी के बल से जमीन दखल कर लेंगे। तो हमारा कहना यह है कि जिस कौमन मैन के नाम पर जमींदारी ली गई उसको जमींदारी लेने के बाद कोई फायदा होते नहीं देखा जा रहा है। और मालूम ऐसा होता है कि बहुत सी जमींदारियों की जगह पर अब आप एक बहुत बड़े जमींदार हो गये। अब सभी जमींदारियां केंद्रित कर दी गई हैं। जिसका नतीजा बहुत सुन्दर होना था लेकिन उल्टे बड़ी ताकत के बल पर देहातों में बहुत भारी फसाद मचने वाला है। जिसको जमीन पर बटाईदारी का कोई हक नहीं है वह हक लिखवाता है और यदि इसकी बुझारत के बल पर अगर खतियान ठीक किया जाता है तो हम समझते हैं कि देहात में किसानों को फायदा होने के बदले नुकसान होगा, लोग आपस में लड़ कर बरबाद हो जायंगे और यह बहुत ही खराब बात होगी। इसलिए करना तो यह था कि सबसे पहले खतियान ठीक करना

अध्यक्ष—आप इस पर विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर संशोधन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं।

श्री वशिष्ठ नारायण सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसको हम चाहते हैं कि साढ़े आठ बजे के बदले साढ़े नौ बजे कर दिया जाय।

अध्यक्ष—अनुग्रह बाबू को फिर दूसरा काम है इसलिये मैंने ऐसा किया है।

श्री बशिष्ठ नारायण सिंह—तब तो एक आदमी के लिए सारे हाउस को तकलीफ है?

अध्यक्ष—एक आदमी तो वे नहीं है, वे तो सारे हाउस के लिये हैं। खैर आपका संशोधन मैं सभा के सामने रख देना चाहता हूं:

प्रश्न यह है कि:

सभा आरम्भ होने का समय साढ़े ८ बजे के बदले साढ़े ९ बजे रखा जाय।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

तिथि २८ फरवरी १९५६ को कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा इस सत्र के अस्थायी कार्यक्रम में किए गए संशोधनों तथा उसके द्वारा विभिन्न कार्य के लिए निर्धारित समय पर सभा की सहमति हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

१९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET FOR 1956-57.

श्री शत्रुघ्न बेसरा—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर ले जाना चाहता हूं। जितना ग्रांट्स सरकार की ओर से मिलता है वह काफी है लेकिन उसको खर्च करने का तरीका बहुत खराब है। सरकार आदिमजाति सेवा मंडल और पहाड़िया सेवा मंडल में बहुत ज्यादा खर्च इन ग्रांट्स से करती है लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि इतना रुपया नन-ऑफिशियल एजेंसी को मिलता है लेकिन उसका ऑडिट सरकार की ओर से नहीं होता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह खर्च का ऑडिट कराये और उसकी रिपोर्ट हम सभी सदस्यों को दे।

मैं चाहता हूं कि जिस तरह से हरिजन के लिये हरिजन वेलफेयर बोर्ड है उसी तरह से आदिवासियों के लिये एक बोर्ड बनाया जाय या दोनों को मिला कर एक ही बोर्ड बनायें और सरकार को जो सलाह वह दे उस पर सरकार अवश्य निर्भर करे। अध्यक्ष महोदय, हरिजन छात्रों और आदिवासी छात्रों के विषय में कहा जाता है कि हम इनको सर्विसेज में रिजर्वेशन देते हैं। हुजूर, दुमका एग्रिकलचरल स्कूल में ११ हरिजनों और आदिवासियों को लिया गया है हालांकि मैट्रिकुलेट नहीं थे और उनकी उम्र भी

ज्यादे थी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ट्रेनिंग के बाद उन्हें सर्विस में नहीं लिया जाता हैं क्योंकि नन-आदिवासी या नन-हरिजन्स मैट्रिकुलेट या आई० ए०, बी० ए० होते हैं। इस तरह जो सुविधा सरकार कहती है वह आदिवासियों और हरिजनों को नहीं मिल रही है। इस ओर सरकार ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, सरकार बहुत दिनों से आदिवासियों और हरिजनों को जमीन देने की बात कह रही है। एक बार हमारे इलाके के हटिया में इस बात की सूचना लोगों को सरकार की ओर से दी गई की आदिवासी और हरिजन दरखास्त दें तो सरकार उनको जमीन देगी। हजारों दर्खास्त पड़े लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। दरखास्त देने पर भी हरिजनों और आदिवासियों के साथ जमीन बन्दोबस्त नहीं की जाती है। कहीं-कहीं जमीन बन्दोबस्त हुई भी है तो रुपये लेकर बन्दोबस्त हुई है। हमने इसकी शिकायत सर्किल अफसर, एस० डी० ओ० साहब से की है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे कि जो जमीन हरिजनों और आदिवासियों को देना है वह संथाल परगना ऐक्ट के अनुसार कीजिए। जैसे गांव की गोचर जमीन और परती जमीन गांव वालों की है उसी तरह गांव की जो जमीन बन्दोबस्त हो वह हरिजन और आदिवासियों के साथ हो।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लगभग एक सप्ताह से बजट पर वाद-विवाद चल रहा है और इस पर कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला है। अध्यक्ष महोदय, बजट देखने से मालम होता है कि हम एक अरब रुपया आने वाले वर्ष में खर्च करने जा रहे हैं। मैं तो समझता हूँ कि चाहे आप ९६ करोड़ खर्च करें या दो अरब खर्च करें उसका कोई अर्थ नहीं जब तक आपके पास बिहार राज्य के उत्थान के लिए कोई ऐसा नक्शा न हो जिस नक्शे के आधार पर हम बिहार के लोगों को बता सकते हैं कि हमारी जो समस्यायें हैं वे किस हद तक हल हो सकेंगी तथा सन्तोषजनक समाधान कब तक होगा।

आज हमारे प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी की समस्या, शिक्षा की समस्या, भ्रष्टाचार निरोध की समस्या, जातिवाद और पक्षपात की समस्या विषम रूप धारण कर रही है और प्रान्त को नीचे की ओर घसीट रही है। इस ओर सरकार का ध्यान कितनी दूर तक है और इस समस्या को सरकार किस तरह हल करना चाहती है, इसका उल्लेख इस बजट में हम नहीं पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुकी और सरकार कितने आंकड़े हमारे सामने रख चुकी है लेकिन हमको यह नहीं बता सकी है कि इन समस्याओं को कहां तक हल कर चुकी है। या इनके समाधान की ओर सरकार तेजी से बढ़ रही है। और न इन समस्याओं के समाधान का विशेष उल्लेख पंचवर्षीय योजना में है। हर साल बजट पेश करते हैं और कभी ४६ करोड़, कभी ५६ करोड़ या ६६ करोड़ और इस साल ९६ करोड़ का बजट पेश हुआ है तथा आंकड़ों का झमेला खड़ा कर देते हैं और हमलोग एसेम्बली में बैठ कर इसकी कुछ समालोचना कर दिया करते हैं, लेकिन आम जनता के सामने कोई ठोस चीज नहीं रखते जिससे वे समझ सकें कि इस सरकार के द्वारा प्रान्त की प्रगति किस हद तक हुई या संभव है।

यह भी कहा गया है कि अगर ९५ करोड़ हम शिक्षा पर खर्च करें तब हम दूसरे प्रान्तों की बराबरी कर सकते हैं और हमारे पास न ९५ करोड़ रुपया है और न इस

समस्या का समाधान ही कर पायंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि बिहार दूसरे गण राज्यों से बराबर शिक्षा के मामले में पिछड़ा रहेगा, यदि सरकार की नीति नहीं बदली।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी कमजोरी इस शासन प्रणाली में है, वह भ्रष्टाचार तथा जातिवाद है। मैं पूछता हूं कि इस शासन यंत्र क्या कोई भी विभाग ऐसा है जहां भ्रष्टाचार नहीं है? यदि कोई कहे कि पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग में ही भ्रष्टाचार है तो यह ठीक नहीं होगा। सरकार के सभी विभागों में करप्शन, जातिवाद तथा पक्षपात है। मैं तो कहूंगा कि इस जातिवाद के झमेले में बिहार राज्य की आम जनता की प्रगति के लिए, सुख साधन के लिए, भविष्य अन्धकारमय मालूम होता है, व्यक्ति या जाति विशेष के लिए सब कुछ किया जाता है। ९६ करोड़ रुपये में ५० करोड़ रुपये भी आज आम जनता की भलाई के लिए खर्च नहीं किया जाता।

श्री शक्ति कुमार—अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जातिवाद का नाम लिया है। हमारे संविधान में कुछ जातियों को प्रश्रय देने की बात है और उसके विरुद्ध है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—माननीय सदस्य इस बात को नहीं समझे। मेरी बातें शान्तिपूर्वक सुनें तब उनको मालूम हो जायगा। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन अफसरों का नाम है जो किसी मंत्री विशेष के जाति के हैं और उनकी तरक्की के लिए मंत्रीगण लोग हर तरह का पाप करते है। जो मंत्री जिस विभाग का है और यदि अफसर उस जाति का हुआ तो उस विभाग के अन्य अफसरों को तरक्की में नुकसान पहुंचा कर उस जाति वाले अफसर को तरक्की दी जा रही है। व्यक्ति विशेष के लिए बड़े-बड़े पोस्ट (नियुक्तियां) का निर्माण किया जा रहा है।

मैंने कुछ अफसरों से बातें की हैं और वे इस मामले में बहुत असंतुष्ट हैं कि प्रोमोशन के मामले में उनके साथ न्याय नहीं किया जाता। जब जनता और सरकारी नौकर दोनों इस तरह असंतुष्ट हैं तो आप किस तरह आशा करते हैं कि ९६ करोड़ का बजट पेश करके सरकार जनता के बीच भरोसा पैदा कर सकती है। पक्षपात के सम्बन्ध में मेरा विचार है कि कोई भी विभाग इससे वंचित नहीं है और जो बहालियां आये दिन चीफ मिनिस्टर साहब के विभागों में अथवा फाइनेंस और लेबर विभागों में होती हैं उनमें अधिकांश बहालियों में जाति इत्यादि का खास ख्याल रखा जाता है।

अध्यक्ष—इस तरह की अनिश्चित बात नहीं कहनी चाहिये। मान लीजिए यदि किसी विभाग का अफसर सोनार जाति का है और किसी सोनार जाति के कैंडीडेट को क्वालिफायड पाता है और बहाल करता है तो यह कहना कि चूंकि दोनों एक जात के हैं इसलिये पक्षपात हुआ यह सही नहीं है। यदि आपको शिकायत है तो आप यह कह सकते कि अमुक व्यक्ति योग्य होने पर भी न लिया गया और इस तरह वह पक्षपात का शिकार हुआ। क्योंकि यदि आप पक्षपात शब्द की परिभाषा को इस तरह बढ़ाते जायंगे तो आप यहां तक कह सकते हैं कि चूंकि अमुक व्यक्ति अमुक अफसर की बस्ती का रहने वाला है और चूंकि उन दोनों के परिवार में घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है इसलिये उसे नौकरी दे दी गयी, तो यह सब कहना ठीक नहीं है।

श्री रामेश्वर प्रसाद महथा—अध्यक्ष महोदय, मेरे पास उन अफसरों का नाम है जिनकी तरक्की जाति के नाम पर हुई है। हमारे राज्य में ७७ नेशनल एक्सटेंशन

सर्विस ब्लौक्स खुल चुके हैं और आगे चल कर ४०० और खुलने वाले हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहता हूं कि इन ब्लोकों में जो स्कीम कार्यान्वित की जाती हैं उनके खर्च में से १० प्रतिशत उस ब्लोक के हेड क्लर्क ले लेते हैं और इसी प्रकार अंचल अधिकारी से लेकर निम्न श्रेणी के नोकरों तथा कार्य कराने वाला हेडमैन के बीच करीब ५० या ६० प्रतिशत रुपया बंट जाता है और केवल ४० अथवा ५० प्रतिशत रुपयों का काम हो पाता है। मैं अपने जिले के ब्लोकों की जानकारी रखते हुए यह बात कहता हूं और आवश्यकता पड़ने पर मैं इसके लिये उदाहरण भी पेश कर सकता हूं।

लघु सिंचाई के संबंध में हमारे जिले की यह हालत है कि बावजूद सरकारी हुकुम के कि ये योजनायें ग्राम पंचायतों के जरिये कार्यान्वित की जायं फिर भी मैं जानता हूं मंत्री चुनाव के पृष्ठपोषकों को ४-४ तथा ५-५ ठीके दे दिये जाते हैं ताकि वे चुनाव के समय तथा दूसरे अवसरों पर उनकी मदद करें। ऐसी अवस्था में केवल ९६ करोड़ के बजट बना देने से हम कैसे उम्मीद करें कि आप जन कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं ?

आजादी मिलने के पहले वर्तमान भारत के प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहर लाल ने कहा था कि टेक्निकल पोस्टों पर नन-टेक्निकल आदमियों को नहीं बहाल करना चाहिए लेकिन दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि आज जंगल विभाग के अफसरों को जिनको जंगल के कामों का ट्रेनिंग दिया गया उनको अब सब-डिप्टी में बहाल किया जाता है। हमलोग हर साल सैकड़ों की तायदाद में सब-डिप्टी बहाल करते हैं और उन्हें जनता के बीच न्याय करने के लिये न्याय मंच पर बैठा देते हैं लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें कानून का ए० बी० सी० भी मालूम नहीं रहता। पंचायतों की स्थापना के कारण हमारे यहां बहुत से वकील बेकार हो गये हैं और मैं समझता हूं कि नये ग्रैजुएट्स को बहाल करने से कहीं ज्यादा लाभप्रद यह होगा कि वकीलों में से सब-डिप्टी बहाल करें जिन्हें कानून का ज्ञान प्राप्त है।

साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ साल पहले केन्द्रीय सरकार ने एक बैकवर्ड क्लासेज कमीशन की नियुक्ति की जिसने अपनी रिपोर्ट भी दे दी है। बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि न केन्द्रीय सरकार और न प्रादेशिक सरकार की नींद खुली है कि वह जनता को बताये कि यह रिपोर्ट क्या है और कैसे सरकार इसे कार्यान्वित करने जा रही है या नहीं। सरकार की चुप्पी इस बात का द्योतक है कि क्रमशः बिहार सरकार के शासन-सूत्र चलाने वाले जो मुख्यतः ऊंचे वर्ग के लोग है, नहीं चाहते कि पिछड़े हुए लोगों का उत्थान सरकारी तौर पर किया जाय। मेरा निश्चित मत है जब तक प्रांत के पिछड़े वर्गों का जो ८० प्रतिशत के लगभग है उत्थान नहीं होता राष्ट्र का उत्थान संभव नहीं : आखिर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है ? यदि सरकार समझती है कि इस प्रदेश में बैकवर्ड या पिछड़े हुए लोग हैं तो क्या उनकी तरक्की हुए बिना सरकार वेलफेयर स्टेट की हामी भर सकती है ? अभी इस सभा भवन में सवाल पूछे गए कि पिछले वर्ग के छात्रों के स्कालरशिप की मांग अभी तक जब साल खत्म होने जा रहा है क्यों नहीं पूरी हुई ? लड़के जिनको स्कालरशिप मिलने वाला है आसमान के तारे गिन रहे हैं। कुछ लड़कों की पढ़ाई भी छूट गयी है। लेकिन अभी तक सरकार का फैसला ही नहीं हो सका है। ९६ करोड़ के बजट में भी २,४ लाख रुपया देने का सरकार तीन महीने से फैसला नहीं कर पाती है। इसका मतलब यह है कि सरकार इसको जरूरी नहीं समझती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस तरह अगर रवैया रखना चाहते हैं तो हरिजन, शिड्यूल्ड और बैकवर्ड क्लासेज को प्रोत्साहन देने की बात विधान से लोप कर देना अच्छा होता ।

अभी हमारे यहां हजारीबाग में डी० वी० सी० एरिया में बिजली पैदा होती है। उसका प्रकाश कलकत्ता, पटना, गया, नवादा वगैरह जाने की बात हो रही है; लेकिन जहां यह पैदा होती है, जहां के लोग इसके पैदा करने में शरीक हैं, उस एलाके के लोगों के लिए कोई स्कीम सरकार को नहीं है। मैंने गत वर्ष अपने बजट भाषण में कहा था कि बिजली और सिंचाई मंत्री से मैं निवेदन करता हूं कि उस पिछड़े हुए एलाके में भी बिजली के जरिए सरकार छोटे-छोटे धंधों को खोल कर मॉडेल के तरीके पर लोगों को बतावे कि वे भी ऐसी इंडस्ट्री खोल सकते हैं ताकि वे समझें कि उनके लिए भी बिजली है। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्या उस एलाके के लोगों ने डी० वी० सी० के लिए कम कुर्बानियां की हैं? अभी चार वर्ष के बाद तिलैया डैम के कारण विस्थापित लोगों को मुआविजा मिला है, लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ीं, लेकिन सरकार की ओर से उनके लिए कोई योजना नहीं है। सिंचाई मंत्री अभी यहां नहीं हैं, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि हजारीबाग जिले में सिंचाई के लिए क्या प्रबंध किया गया है? लघु सिंचाई योजना का क्या रवैया है यह किसी से छिपा नहीं। मैंने एक मौके पर कहा था कि वहां वाटरवेज डिवीजन जांच-पड़ताल खोला जाय और सरकार की ओर से जवाब मिला कि सरकार इस बात पर सोच रही है। यह चार महीने पहले की बात है। क्या पंच-वर्षीय योजना के अंत में सोचा जायगा? मैं कहता हूं २३८ रु० फी एकड़ के हिसाब से जो हजारीबाग में है सिंचाई योजना छोटी-छोटी नदियों से काफी संख्या में बनाई जा सकती है। मैंने सिंचाई मंत्री से वहां चल कर इसको देखने के लिए कहा था लेकिन उनको उत्तर बिहार की समतल भूमि पर चलने और हवाई जहाज से घूमने से फुर्सत कहां कि जंगल में जहां रास्ता का पता नहीं जायं। आज १० वर्ष के अन्दर उन्हें उन इलाकों का दौरा कर उचित प्रबंध करने की फुर्सत नहीं हुई। आखिर कब तक हम इंतजार करें?

अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। अभी हमारे यहां जो प्रश्न जंगल का आज ८, १० साल से चल रहा है उसमें जंगल भी बरबाद हो रहे हैं और लोगों की कठिनाई भी बढ़ रही है। सरकार ने इसका निदान सोचने का कभी ख्याल किया है? मैं पूछता हूं लोगों को जिस तरह लकड़ी पहले मिला करती थी क्या उस तरह आसानी से आज भी मिल जाती है? हां, यह मैं मानता हूं कि जंगल बरबाद किया जा रहा है। उसको कौन बरबाद करते हैं? इन्हीं के लोग, चाहे वे जंगल विभाग के कर्मचारी, इनके कंट्रैक्टर या इनके पृष्टपोषक हों। खास कर आम जनता के लिए जो मुसीबत थी वह आज भी मौजूद है।

तो अध्यक्ष महोदय, हमारे इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का विरोध नहीं होता, पर्याप्त शिक्षा का प्रबंध नहीं होता, जातिवाद नहीं मिटता। अफसर यह सोचते कि अमुक मंत्री के जाति के हैं उनकी नाजायज तरक्की होती रहे। तब तक यह ९६ करोड़ क्या आप २०० करोड़ का भी बजट बनावें फिर भी जन कल्याण की उम्मीद नहीं है।

श्री लल्लन सिंह—अध्यक्ष महोदय, अभी बजट पर सामान्य बहस जारी है और मैं इस बजट का स्वागत करता हूं। यह बजट घाटे का बजट इसलिये है क्योंकि जब कभी किसी देश में कोई पंचवर्षीय या इसी तरह की कोई योजना जारी होती है तब घाटे का ही बजट पेश होता है। गत वर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था और यह साल दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रथम वर्ष होने वाला है। ऐसी हालत में घाटे का बजट होने से कोई चिन्ता की बात नहीं है। इसके लिये हरेक देश के नागरिकों को कुछ त्याग करना पड़ता है और टैक्स का बोझ वहन भी करना पड़ता है। लेकिन बजट में कुछ खास तौर पर ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ मैं आपके द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर

का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें एक नया टैक्स मल्टी प्वायन्ट सेल्स टैक्स का है। यह एक इनडाइरेक्ट टैक्स है जिसका भार गरीब लोगों पर ही पड़ेगा। ऐसा न करके किसी डाइरेक्ट टैक्स का सहारा इसके लिये उनको लेना चाहिये था।

दूसरे टैक्स द्वारा सेस को बढ़ाया गया है। इसका भी बोझ गरीब लोगों पर ही पड़ेगा। जब वे शिक्षा विभाग पर ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तब उनको किसी दूसरी मद में कमी करके इस शिक्षा की मद पर ज्यादा खर्च करना चाहिये। इनडाइरेक्ट टैक्सेशन का जरिया इसके लिये उनको अख्तियार नहीं करना चाहिये था और वह भी सेस को बढ़ा करके। इसके बाद में सरकार का ध्यान उस क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं जो बक्सर से लेकर कोयलवर तक है जिसमें करीब ७ लाख आदमी बसते हैं और यह दियारा का क्षेत्र कहलाता है। गंगा के दोनों किनारे पर ऐसा इलाका है और गंगा नदी बराबर अपनी धारा को बदलती रहती है और इसके चलते दो प्रान्तों के बीच जुरिसडिक्शन का सवाल उठ खड़ा हो जाता है। यहां के लोगों को दो-दो कचहरियों में दौड़ना पड़ता है और इसके चहते उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। हमारे राजस्व मंत्री अपनी आंखों उनकी समस्या को देख चुके हैं और आशा है कि वे इसका हल निकालने के लिये कोशिश करेंगे। इस इलाके में बराबर बाढ़ आती रहती है और उस समय आने जाने के लिये कोई साधन नहीं रह जाता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि भोजपुर और निमेज के निकट धनावती नदी में क्रमशः दो पुल बना दिये जायं तो इस इलाके का यह सवाल हल हो जाय। भोजपुर और निमेज के बीच जो सड़क है उसी पर ये पुल बन सकते हैं।

इसके बाद में चिकित्सा मंत्री का ध्यान अपने इलाके की ओर ले जाना चाहता हूं। इस दियारा क्षेत्र में मेडिकल फैसिलिटी बहुत कम है और आवागमन का साधन भी कम है। पुल के साथ ही साथ इस एरिया में डिस्पेन्सरी भी कायम होनी चाहिये जिसमें वहां के लोगों के लिये दवादारू का इंतजाम हो जाय।

इसके बाद में शिक्षा मंत्री का ध्यान इस इलाके की ओर ले जाना चाहता हूं। आजकल जितने प्राइवेट स्कूल हैं उनकी जो मैनेजिंग कमिटी होती है, इसकी सदस्यता को लेकर लोगों का आपस में झगड़ा उठ खड़ा हो जाता है। नये सर्कुलर के अनुसार चंदा लेकर लोग अपने अपने गुट के लोगों को सदस्य बना लेते हैं और इस तरह से मैनेजिंग कमिटी ठीक तरह से नहीं बनती है। सरकार को कुछ इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये जिसमें मैनेजिंग कमिटी में उस इलाके के अच्छे-अच्छे लोग ही सदस्य चुने जायं।

इसके बाद में सिंचाई मंत्री का ध्यान इस इलाके की ओर ले जाना चाहता हूं। इस इलाके में टिउब-वेल लगे हुए हैं लेकिन उनका रेट बहुत ही ज्यादा है और इस वजह से लोग इसके पानी का इस्तमाल नहीं कर पाते हैं। सरकार को चाहिए कि नहर की रेट से और इसकी रेट में तुलना करके इसकी रेट में कमी करे जिसमें लोग इसके पानी से सिंचाई का काम ले सकें। दूसरी बात इसके संबंध में यह कहना है कि मनमाने ढंग पर जहां तहां टिउब-वेल लगा दिया गया है। जिस इलाके में लगाने के लिये लोगों की ओर से दरखास्त पड़ी थी वहां न लगा कर ऐसी जगह में लगा दिया गया है जिससे इसके पानी का इस्तमाल लोग नहीं कर पाते हैं। हमारा सुझाव यह है कि टिउब-वेल को उसी जगह पर लगाया जाय जहां से सब लोगों को आसानी से पानी मिल सके और जहां पर लगाने के लिये ज्यादा लोगों की तरफ से दरखास्त दी जाय।

इसके बाद में यह कहना चाहता हूं कि सरकार की ओर से हमारे यहां नहर रेट को बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ती ऐसे वक्त में हुई है जब कि सब चीजों का भाव नीचे गिर रहा है। जब भाव उंचा था उस समय नहर का रेट नहीं बढ़ा और अब नहर की रेट बढ़ाने से किसान लोग तबाह हो रहे हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई व्यवस्था करके नहर की रेट को कम कर दे जिसमें लोगों को कुछ राहत मिले।

अन्त में मैं इंडस्ट्रीज मिनिस्टर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी बेकारी की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है और नयी-नयी इंडस्ट्रीज खोल कर ही इस समस्या का हल निकाला जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना खत्म होने पर है लेकिन बेकारी की समस्या वैसी ही है। जबतक कॉटेज इंडस्ट्रीज का प्रसार नहीं होगा तबतक मेरे जानते इसका हल न निकलेगा। गांधी जी का ख्याल था कि अंबर चर्खा का प्रचार करके इस देश से बेकारी की समस्या दूर की जा सकती है। इसलिये मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस मद में वह काफी रुपये खर्च करके अंबर चर्खा का प्रचार यहां के लोगों में करे जिसमें बेकारी की समस्या दूर हो। अब मैं चीफ मिनिस्टर का ध्यान अपने इलाके में फैली हुई चोरी-डकैती की ओर ले जाना चाहता हूं। अभी इसके चलते लोगों की जान-माल का खतरा है और उसकी रक्षा सरकार के द्वारा होनी चाहिये। ऐसा करना सरकार की प्राइमरी डिउटी है। इसलिये मैं कहूंगा कि सरकार इस ओर कोई खास कदम उठावे और दिहातों में जो डकैतियां हो रही हैं उनको रोके जिससे वहां की जनता सुख और चैन की नींद सो सके। इतना ही कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*श्री राम लखन सिंह यादव—अध्यक्ष महोदय, १९५६-५७ का बजट जो हमारे फाइनेंस

मिनिस्टर साहब ने पेश किया है और उसमें जिस तरह से यहां के डेवलपमेंट के कामों को और उन पर किए खर्चों को उन्होंने रखा है, उसके लिए उन्हें धन्यवाद है। आज इस बजट पर बहस का सातवां दिन है। इस बजट के हर पहलु पर इस सदन के सभी भागों से बातें सुनने में आई लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी पक्ष के भाइयों ने जिस तरह से इस बजट को और बजट के भाषण को देखा है, मैं कह सकता हूं कि उनकी नजर म्युनिसिपैलिटियों के सैनीटरी इन्सपेक्टर की तरह है जिसकी नजर में म्युनिसिपैलिटियों के साफ-सुथरी जगह नजर न आकर, उपवन और बाटिका और उसकी पत्तियां नजर न आकर, उनकी नजर में सिर्फ गंदी जगह ही नजर आती है। सबसे पहले मैं इस बजट के आधारशिला के बारे में कहूंगा। इस सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि सरकार को इस राज्य को चलाने का सौभाग्य है और इसकी सबसे बड़ी जमायत हिन्दुस्तान की सरकार है और उसने अपनी पालिसी को सिद्धान्त रूप में सोशलिस्टिक पैटर्न माना है और आगे चल कर इसको सोशलिस्ट स्ट्रकचर का रूप भी दिया है। लेकिन आपका कहना है कि इसमें उसकी बू भी नहीं मिलती है, साथ ही साथ में यह भी कहूंगा कि आपका कहना है कि जिन चीजों से सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की कल्पना की जा सकती है उसका भी आभास आपको नजर नहीं आ रहा है तो मेरा कहना है कि आप सारी चीजों को देखते हुए भी देखना नहीं चाहते हैं। इस बजट में सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का आभास जरूर है। आपको यह भी मानना चाहिये कि हिन्दुस्तान में समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की ओर समाज की रूप रेखा किसी प्रांतीय सरकार के बजट पर निर्भर नहीं करती है। आप सारी चीजों को सुबाई सरकार के बजट में नहीं पा सकते हैं। आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान की आजादी के साथ-साथ हिन्दुस्तान ने जिस कदम को बढ़ाया उसके बैक ग्राउन्ड में सबसे पहले आप देखें तो

पता चलेगा कि यहां का कंस्टीटूशन डेमोक्रैटिक बनाई गयी और वेलफेयर स्टेट्स बनाये गये। उसका लाजिमी नतीजा को आप मानें या नहीं मानें, यह तो आपकी खुशी पर निर्भर है लेकिन यह सरकार सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को ही अपनायी है। अब उसके बाद पूरे तौर पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के अलावे और कुछ भी नहीं कल्पना हो सकती है। हमारे देश में और खास करके प्रदेश में और देशों की समाजवादी की कल्पना में कुछ भिन्नता मालूम होती है। साथ ही साथ में कहूंगा कि जो लोग समाजवाद के नारे को आज से सौ वर्ष पहले लगाये उनके सिद्धान्त का आज परिपालन हो रहा है या नहीं जो हर जगह और हर मामले में वे उस रूप को देखना चाहते हैं तो वे भूल करते हैं। हमारे देश का अपना इतिहास है और खास करके इस देश में आजादी लेने का जो तरीका अपनाया, वह अनोखा है। क्या आप मानते हैं कि किसी देश ने आज तक अहिंसा और सत्य के बल पर आजादी हासिल की है? अगर किसी से आप पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, नहीं। उसी तरह से आप जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था की कल्पना ज्यादातर और मुख्यतः उन देशों में की गयी जहां औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से हैं। लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन हमारे भाई यहां की समाजवादी ढांचे को देखना चाहते हैं, यह कैसे हो सकता है। हमारा देश और खास करके हमारा प्रदेश औद्योगिक मामले में पिछड़ा हुआ है और खास करके कृषि प्रधान देश है। मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि जहां और देशों में आर्थिक मामले को लेकर ही समाजवाद की स्थापना की गयी हमारे देश में आर्थिक मामले के साथ सबसे मुख्य सवाल सामाजिक भी है। जिस ढंग से यहां के लोग वर्ग और उप-वर्गों में बंटे हुए हैं इस बात को सभी मानते हैं। जितने पिछड़े हुए देश हैं और उसमें जितनी तरह के धार्मिक ख्याल के लोग हैं और जितनी तरह के लोग हैं, हमारी बदकिस्मती से हमारे देश में जाति और वर्गों में बंटे हुए हैं। मेरा अपना ख्याल है कि आर्थिक समानता को कायम करना जरूरी है और उसका असर खास तौर से उन गरीबों पर पड़ेगा जो एकदम गरीब हैं। हम इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं और न हमको सफलता ही मिल रही है। आपको मानना होगा कि जिस तरह से हिन्दुस्तान की सरकार ने औद्योगिक मामले में बड़े-बड़े कल कारखाने खोल कर और बड़ी-बड़ी नदियों को बांध कर औद्योगिक क्षेत्र की उन्नति करने की ओर कदम बढ़ायी है, उससे आपको मानना होगा कि यह सोशलिस्टिक पैटर्न की कदम ही कह सकते हैं। इतना ही नहीं, अर्थ व्यवस्था को ठीक करने के लिए और उसमें सामाजिक रूप देने के लिए जिस कदम को सरकार ने उठाया है, वह भी सराहनीय है। समाजवादी ढांचे की सोसाइटी के लिए मोटे रूप में ३-४ सिद्धांत हैं। सबको कार्य करने का पूर्ण अवसर मिले कार्य को आगे बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि उत्पादन में मोनोपोली नहीं हो और उसका बंटवारा जायज ढंग से हो। अब आपको देखना है कि सरकार ने कहां तक इस ओर कदम बढ़ायी है। सरकार ने इस काम को करने के लिए बहुत से ऐक्ट्स को बदले हैं और खास करके कंस्टीटूशन के ३२ वीं धारा को बदल कर जो कदम उठाया गया है, वह भी समाजवादी की तरफ ही इशारा है। अब मैं इसकी तफसील में जाना नहीं चाहता हूं, चूंकि समय कम है। खास तौर से हमारे प्रदेश में सरकार ने भूमि व्यवस्था की ओर जो कदम उठाया है उसके लिए आप लाख विरोध करें तोभी आपको मानना ही होगा कि यह कदम समाजवादी ढांचे की ओर है। यह ठीक है कि हमने उन सिद्धांतों की ओर कदम नहीं उठाया जिसके चलते खून खराबी और मारपीट हो और उसके चलते एक वर्ग का खात्मा हो जाय और शासन का भी खात्मा हो जाय। तो मेरा कहना है कि जिस सिद्धांत को लेकर हमने आजादी हासिल की और प्रजातंत्र कायम किया, अगर उसी सिद्धांत से हम चलेंगे तो हम समझते हैं कि समाजवादी ढांचे को कायम करने में भी हमको सफलता जरूर मिलेगी।

हमारे विरोधी भाइयों को याद होगा कि हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं, ऐसे ज़मायतों की कमी नहीं जो १९४७ में आजादी हासिल करने के बाद भी २६ जनवरी १९५० को रिपब्लिक कायम होने के बावजूद भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि हिन्दुस्तान आजाद हो गया। मैं कहूंगा कि आज खास तौर से समाजवादी भाई चूंकि उन्होंने अपना नाम समाजवादी दे रखा है उन्हीं लोगों की तरह समूचे हिन्दुस्तान में समाजवादी व्यवस्था हो जायगी तब भी वे नहीं मानेंगे क्योंकि इनके द्वारा वह नहीं हो रहा है। धीरे-धीरे आज भी हम देख रहे हैं कि सूबे बिहार के खास तौर पर जमींदारी उन्मूलन, बटाईदारी कानून, सीलिंग कानून उद्योग क्षेत्रों में जिस प्रकार हम और हमारे और भाई ने कहा है कि जमशेदपुर ऐसे फैक्टरी में कई करोड़ का लोगों को बोनस मिलना, उद्योगिक क्षेत्रों में शान्तिपूर्वक मजदूर और मालिक में सामंजस्य स्थापित करना आज जिस ढंग से बढ़ रहा है वह किसी से छिपा नहीं है। आज पंचवर्षीय योजना का ढांचा हमारे सामने है। आज सबसे अधिक खर्च करीब ३० करोड़ का सिंचाई पर, २५ करोड़ का शिक्षा पर, १९ करोड़ का शक्ति पर और जिस ढंग से हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग बढ़ रहा है, ये सारी चीजें बताती हैं कि धीरे-धीरे और गंभीरतापूर्वक हम उस ओर कदम उठा रहे हैं और बहुत दूर तक उठा चुके हैं और निकट भविष्य में हम उस चीज की पूर्ति कर सकेंगे। आज जो बजट हमारे सामने है, यह सही है कि इस बजट में करीब करीब १ अरब का खर्च है उसमें कोई मतभेद नहीं कि जब हम अपनी-अपनी दृष्टि से देखेंगे, अपने-अपने इलाकों की दृष्टि से देखेंगे। चूंकि मैं इस चीज को जानता हूं, सभी चीजों में इतनी दिलचस्पी नहीं रखता। यह वाजिब है कि मैं इस बजट को पूरी तरह से सारी चीजों को लेकर एक ऐम्बीसस बजट मानता हूं। उसमें नुक्ते निगाह से अपने इन्टरेस्ट से देखता हूं तो इसमें कोई मतभेद नहीं, इसमें खामियां पाता हूं और यह वाजिब भी है। इसलिए सारे बजट को मैंने एक प्रोग्रेसिव और ऐम्बीशस बजट माना है। जैसा मैंने कहा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के स्पीच में इसका जिक्र है कि हम एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनायेंगे और उसी को देखते हुए हम अपना कदम उठा रहे हैं। मैं सदन का समय और उन चीजों पर नहीं लेना चाहता हूं चूंकि समय की कमी है। मैंने पहले कहा कि इस बजट को देखते हुए जब मैं अपनी दृष्टि से देखता हूं इसमें कमी पाता हूं। इसी नुक्ते निगाह से मैं दो चार शब्द सरकार से कहना चाहता हूं। जैसा मेरे भाई श्री शक्ति कुमार ने कहा है और जैसा मैंने भी सरकार की गति विधि को देखा है कि जो हमारे समाज में पिछड़े हुए हैं चाहे वे हरिजन हों या आदिवासी हों या और कोई दूसरे पिछड़े वर्ग के हों उनके लिए सरकार जितना करती है उस हिसाब को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि बिहार सरकार से आगे किसी स्टेट ने कदम नहीं बढ़ाया है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है चूंकि यह जानकारी की चीज है। मैं कहूंगा कि जिस ढंग से हमारा प्रदेश और यहां के लोग पिछड़े हुए हैं सरकार का कदम उस ओर उठ रहा है लेकिन उसके साथ साथ लोगों को देखते हुए, खास कर समय को देखते हुए इस बात की जरूरत है कि उस ओर सरकार की निगाह और जानी चाहिए। जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि हिन्दुस्तान की आर्थिक अवस्था को लेकर अपनी स्थिति को सही कर लें, सामाजिक ढंग पर आर्थिक रूप से हम यहां की व्यवस्था कायम भी कर लें लेकिन इसके बावजूद भी हमारा आज जो सामाजिक ढांचा है, जब तक उसमें सामाजिक क्रांति नहीं लायंगे, आज जो लोग जंगल और पहाड़ों के कन्दराओं में बैठे हुए हैं वे नहीं जानते हैं कि दुनियां में क्या हो रहा है, आज की दुनियां में हमें मानना होगा कि जब तक हिन्दुस्तान के संविधान के अनुसार यहां का प्रत्येक सही नागरिक जागृत नहीं हो सके तब तक हम आर्थिक रूप से एक सामाजिक व्यवस्था कायम करते हुए भी बहुत पीछे रह जायंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि

ऐसे लोगों की ओर सरकार की निगाह जानी चाहिए। शिक्षा का प्रसार, मैं जानता हूं कि हमारे प्रदेश में भी बहुत जोरों से हो रहा है लेकिन आज बहुत जरूरी है कि जहां हम प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क कर चुके हैं आज बहुत जरूरी है कि इसे निःशुल्क के साथ-साथ कम्पलसरी शिक्षा की व्यवस्था की जाय। आज जो प्राइमरी एजुकेशन का सिद्धांत है, प्लानिंग कमिटी के जरिए, मैं उन लोगों में हूं जिन्होंने उस दिन भी समझा था कि सरकार की यह नीति कि जो शिक्षा को लोकल बडीज से उठा कर प्लानिंग कमिटी अपने हाथ में ले रही है, उसका असर अच्छा नहीं होगा। आज जरूरत वैसे गांवों में स्कूल खोलने की है जहां पहले से स्कूल नहीं है लेकिन मैं देखता हूं कि आज उन्हीं गांवों में स्कूल खोले जा रहे हैं जहां शिक्षक पहले थे और लड़कों की वृद्धि के नाम पर वहीं एक, दो, तीन शिक्षक बढ़ा दिए जा रहे हैं और उसी पर प्लानिंग कमिटी का जोर है। आज जरूरत इस बात की है कि जहां पहले से स्कूल नहीं है और जहां लड़के अवेलेबुल हैं वहां लड़कों के स्कूल खोले जायं और नये स्कूलों में लड़कियों की पढ़ाई के लिए दिहातों में गुंजाइश की जाय। इसके साथ-साथ मैं इस चीज को कहना चाहता हूं। कुछ दिन पहले, मुझे याद है हमारे श्रद्धेय श्री राजगोपालाचारी का एक आर्टिकिल निकला था उसमें कहा गया था कि आजादी हासिल करने के बाद जरूरत इस बात की है कि यहां के ज्यादा से ज्यादा नागरिक को यह विश्वास दिलाया जाय कि यहां के शासन में उनके लोगों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा है और उसको हम इस ढंग से कर सकते हैं कि जो भी सर्विसेज हमारे यहां हैं जब हम किसी चीज की बहाली करते हैं तो इस चीज चीज को हम ध्यान में रखें कि ऐसा न हो कि किसी खास वर्ग के लोग, खास तबके के लोग नौकरी में चले जायं और कुछ ऐसे तबके के रह जायं जो यह समझें कि सरकार से और मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है।

मेरे ख्याल में शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए, लोगों में प्रगति लाने के लिए इस बात की जरूरत है कि घर का घर, परिवार के परिवार एक चीज के शासक के रूप में किसी गांव में साबित नहीं हों बल्कि सब लोग यह समझें कि किसी परिवार का एक आदमी अगर नौकरी में है तो उसका दूसरा भाई औरों की तरह खेत में काम करता है, खलिहान में काम करता है। अगर एक भाई पटना सेक्रेटेरियट के बगल में एक बड़े आलीशान मकान में रहता है तो उसी परिवार का एक दूसरा आदमी गांव के एक झोपड़े में रहता है। इस तरह का विश्वास लोगों में आपको पैदा करना चाहिए। यह ठीक है कि संविधान की धारा रहते हुए हम किसी को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन आप कहेंगे कि सर्विस के लिए कंपीटिशन कर दिया है, कोई भी नौकरी पा सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि यह सब कुछ निर्भर करता है लोगों की मनोवृत्ति पर और सरकार की मनोवृत्ति पर और इससे ज्यादा उन लोगों की मनोवृत्ति पर जो इस काम को किया करते हैं और जिनके हाथ में इस तरह का अधिकार है।

इन शब्दों के साथ अब मैं अपने जिले की ओर सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं। खास तौर से सदन में कई वर्षों से यानी जब से हमलोग आये हैं पुनपुन नदी का ऐसा मसला बन गया है जिस पर पटना और गया के लोगों की तरफ से बराबर तकाजा हुआ करता है। सुना है कि इंजीनियरों का कहना है कि पुनपुन नदी में बांध नहीं हो सकती है। मैंने बार-बार कहा और आज भी कहता हूं कि पुनपुन नदी में जिस मौसम में हम मिट्टी की बांध बांध लेते हैं और बांध बना कर ३०, ४० एकड़ भूमि का पटवन करते हैं उन जगहों में हम यह चाहते हैं कि आप एक परमानेंट बांध दे दें। बाढ़ के लिए नहीं बल्कि अषाढ़ में जब खेती का काम शुरू होता है और आश्विन कार्तिक में पुनपुन में पक्का बांध बांध कर सहूलियत देंगे तो हमलोग पटवन कर सकेंगे। अगर यह भी नहीं तो मेरा ख्याल है कि पुनपुन नदी के किनारे गया से पटना तक बिजली

कराई जाय और विजली के जरिए पानी को नहर का रूप देकर पानी दिया जाय तो किसानों को बहुत लाभ होगा। मैंने कई बार कहा है और फिर दोहरा देना चाहता हूं कि किसानों में सबसे बड़ा मसला सिंचाई का है और इसके लिए किसी तरह का आप टैक्स लगाना चाहें तो वे स्वीकार कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि सरकार ने इसके लिए खास डिवीजन कायम किया है और इस सम्बन्ध में काम हो रहा है।

दूसरी चीज जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूं वह एक आना टैक्स के बारे में है। मैं जानता हूं कि हमारे वित्त मंत्री साहब को जिस चीज के लिए चिन्ता है कि आज यहां के जो रहने वाले हैं उनके बाल-बच्चों की पढ़ाई का सामान जल्द-से-जल्द बड़े पैमाने पर किया जाय। लेकिन जिन किसानों के बच्चे को आप पढ़ाना चाहते हैं उन पर किस तरह का कर का बोझ लाद रहे हैं। टैक्स लगाना नाजायज नहीं है लेकिन जितना टैक्स देने की शक्ति उनमें है उसको भी आपको देखना होगा। जिस रेट से गल्ले का भाव गिरता जा रहा है उस लिहाज से मेरे ख्याल में यह टैक्स लगाना मुनासिब नहीं होगा। मैं अपने वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि जो रुपया वे लेना चाहते हैं उसमें वे निपुण हैं तो कोई दूसरा उपाय निकाल लें जिससे एक आना का कर से किसानों को बचा सकें।

तीसरी चीज मैं खास कर नहर इलाके के बारे में कहना चाहता हूं। इस सदन में हर व्यक्ति के दिमाग में कई वर्षों से नहर रेट को लेकर संघर्ष की भावना पैदा हो गई है। जो भाई उस नहर इलाके से आते हैं वे जानते हैं कि नहर रेट के कारण कैसी परिस्थिति खड़ी हो गई है। मैं मानता हूं कि नहर से किसानों को बड़ा मुनाफा है। लेकिन मैं इस चीज को दोहराना चाहता हूं कि जब किसानों के गल्ले का भाव बढ़ा हुआ था तो उस समय आपने इस टैक्स को नहीं बढ़ाया और अब जब कि गल्ले का भाव गिरता जा रहा है और साथ-साथ किसानों की दूसरी जरूरियात की कमी पूरी नहीं हो रही है और काफी दाम देकर खरीदना पड़ता है ऐसे समय में नहर रेट बढ़ा कर अच्छा काम आपने नहीं किया है। इस सिलसिले में एक दूसरी चीज जो आ पड़ी है उसकी जिम्मेदारी किसानों से ज्यादा नहर महकमें के उन लोगों पर है जिनके जिम्मे कर की वसूली का काम है। मैं स्वयं एक ऐसा किसान हूं जिसकी एक-एक कट्ठा जमीन नहर में है। मैं इस चीज को मानता हूं कि नहर रेट देना चाहिए। लेकिन पहले जिस ढंग से किसानों के यहां जाकर वसूली की जाती थी वैसा इन लोगों ने नहीं किया है। उनमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहर इलाके के हैं और उनके दिमाग में यह बात बनी रही है कि नहर का रेट जरूर कम होगा। इसलिए कई महीनों का बोझ एक-ब-एक लोगों पर आ पड़ा है और पुलिस के जरिए वसूली शुरू हो गई है। मेरे ख्याल में यह अच्छी बात नहीं है इसलिए मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि बढ़ते हुए रेट का कर कम से कम आधा जरूर माफ कर दे। इसके साथ-साथ मैं कहूंगा कि जिस ढंग से आपने ऐग्रीमेंट किया है कि ७, १० साल के लिए इस रेट पर पानी देंगे तो मैं चाहूंगा कि सरकार उसमें सतर्कता से काम ले जिससे किसानों को आसानी से पानी समय पर मिले। चाहे किसानों की गलती हो या ऑफिसरों की गलती हो हम इस अवस्था में सभी कर नहीं दे पाते हैं और मेरा ख्याल है कि सही कर की वसूली अगर आप पूरे तौर से करें तो फिर कर बांधने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि एक साल पहले आपको याद होगा कि कई लाख का कर नाजायज ढंग से किसानों पर लगाया गया और हमलोगों ने सरकार के सामने इस चीज को रखा और उसके बाद यह तय हुआ कि नाजायज कर पटना, गया और शाहाबाद तीनों जिलों से ९ लाख के लगभग माफ कर दिया जायगा। लेकिन हमें ताज्जुब होता है कि किस आधार पर पटना और गया का नाम छोड़ दिया गया।

नाजायज टैक्स के उठाने में सब कोई का हाथ था। इस बार का टैक्स भी नाजायज है, उस रेशिओ में नहीं लगना चाहिये। मैं इन चीजों के साथ-साथ एक चीज और कह देना चाहता हूं कि बिहटा इलाके में एक प्रकार की ऊख है जिसका नाम दूधमोहन ऊख है। वह ऊख इस क्षेत्र में करीब-करीब ३ लाख मन होगी परन्तु उसके सम्बन्ध में यह कहा जा रहा है कि उसमें चीनी की मात्रा बहुत ही कम होती है इसलिये मिल वाले लेने से इंकार कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर नहीं लिया जायगा तो किसानों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा क्योंकि इससे उन किसानों को ४ लाख रुपये की क्षति होगी। इसलिये मैं सरकार, मिल वाले और किसानों से आग्रह करूंगा कि थोड़ा-थोड़ा सभी कोई घाटा सह कर उस ऊख को उठा लें।

अब मैं अनइम्पलाइमेंट की ओर आता हूं। हमारे यहां जो इतना अनइम्पलाइमेंट है उसको सुलझाने के लिये एक बहुत बड़ा जरिया पटना जिला भी हो सकता है। हाल ही में यहां इंडिया गवर्नमेंट से एक टीम आयी हुई थी और वह यह देखने के लिये आयी थी कि बिहार में किस तरह से इंडस्ट्रीज का काम चलाया जाय। हमारे यहां आज भी एक-एक गांव में १,२०० सौ तक कर्घा चलता है। हमारे नजदीक के ही एक बस्ती में करीब १,४०० कर्घा चलता है। इसी तरह से बिहार शरीफ में भी है। सिमरी में बर्त्तन के लाखों-लाख का कारबार होता है। जब हमलोगों ने इन सब चीजों को उनके सामने रखा तो वे बहुत पसन्द हुए।

अब मेरा ख्याल है कि हमारे सूबे में इस तरह से गांवों में बहुत से बड़े-बड़े कारीगर हैं, अगर बिजली के जरिये उन्हें थोड़ा भी उत्साहित किया जाय तो बहुत बड़ी भलाई का काम हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं कि पिछले साल विक्रम में एक बड़ा अस्पताल और परिशिक्षण केन्द्र खोलने की बात हुई थी जिसकी नोटिस हुई कि इसका उद्घाटन मुख्य मंत्री करने वाले हैं लेकिन कोई वजह से नहीं हुआ। कोई वजह हुई वह नहीं हो सका। मैं चाहूंगा और उसमें मैं मानता हूं कि सरकार का ही कसूर नहीं है। आज प्रजातंत्र के जमाने में जब एक ही सदन के दो सदस्य दो तरह की राय रखते हैं तो देहात में जाकर उसका और भी रूप किस ढंग से व्यापक हो जाता है वह हम समझते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसे-ऐसे कामों में यह एक वैसी चीज नहीं, कोई कारखाना नहीं जहां यह देखा जाय कि लोहा की कमी है या किस चीज की कमी है बल्कि रोगियों की जहां सुविधा का सवाल है अस्पताल चाहे १०० गज इधर हो या उधर, इसमें किसी तरह का फर्क नहीं हो पाता है। आज रोगियों को पटने में आकर दुर्दशा भोगनी पड़ती है, पटने की सड़कों पर मारे फिरते हैं। ऐसा अस्पताल बने तो उनमें कोई भी इसको इंकार नहीं कर सकता है। मैं चाहूंगा कि सरकार जल्द-से-जल्द इस चीज को वहां खोले जिसका फैसला गत साल हो गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सदन में पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में सूबे में बनने वाली रेलवे लाइन की बात चली है। मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं कि १९४० के पहले बिहटा या दानापुर से विक्रम, पालीगंज होते हुए पावरगंज को मिलाने की बात चली थी और उसकी काफी छानबीन भी हुई थी। मैं चाहूंगा कि सरकार उस प्रोपोजल को भी एक्जामिन करे और मेरा ख्याल है कि जिस ढंग से इस इलाके में आवागमन की कमी है बिहटा मिल और इस तरह की और संस्थाओं के होने के नाते मेरा ख्याल है कि जैसे और जगहों का क्लेम है उससे कम गुंजाइश इस इलाके की नहीं है। अगर न्यायपूर्ण तरीके से देखा जाय तो इस लाइन को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं अपने एल० एस० जी० मिनिस्टर को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस सूबे में, बिक्रम में इन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया है। इन्होंने फैसला किया है कि जहां हम शहरों को पानी देते हैं कल के जरिये देहात तक यह चीज ले जायी जाये। इसके लिये इन्होंने बिक्रम को चुना है। इसके साथ दानापुर म्युनिसिपैलिटी को पानी देने की स्कीम प्रगति पर है।

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने राजस्व मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में दो मेले हैं और उससे आपको ६० हजार रुपये सालाना आमदनी होती है। मैं आप से आग्रह करूंगा कि उस इलाके के किसान जहां तबाह और बरबाद थे वहां आज साठ हजार सालाना आमदनी उस मेले से सरकार को हो रही है और मैं चाहूंगा कि उस रकम का उपयोग पूरा का पूरा वहां के डेवेलपमेंट के लिये होना चाहिये। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इन बातों पर विचार करेगी।

श्री बलिया भगत—अध्यक्ष महोदय, १९५६-५७ के बजट में जितनी बातें कही गई हैं

और जो खर्च का लेखा लिखा है उसे मैंने गौर से देखा। मैं अपना विचार इसके बारे में सदन के सामने यह रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपना विचार वेलफेयर डिपार्टमेंट के बारे में रखना चाहता हूं कि जिस मनुष्य में तनिक भी देश प्रेम नहीं है उसके ऊपर देश व देहात का भार देना न्यायसंगत नहीं है। हमारे छोटानागपुर के क्षेत्र से पचासों हरिजन और आदिवासी इस सदन में सदस्य होकर आये हैं। इनमें अधिकांश पढ़े-लिखे हैं लेकिन इतना होते हुए भी इनको आदिम जाति सेवा मंडल में हाथ न लगाने दिया गया है, और न इनको इस मंडल के मंत्री पद के लिये ही चुना गया। इससे समय की बरबादी, रुपये की बरबादी होती है। आदिवासियों को पंगु बना कर गंगा नदी के पार वाले एक नर नारायण नाम रख कर उनके हाथ में हमलोगों की उन्नति का भार सरकार ने दे दिया है, उन्हीं के हाथ रकम दी गई है। ऐसा करके हम आदिवासियों को वे निकम्मा बना देना चाहते हैं। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासी और हरिजन में से ही किसी को चुन कर आदिम जाति सेवा मंडल का मंत्री बनाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, स्टूडेंट स्टाइपेंड कमिटी १९५३ ई० के पहले स्टेट में जो होती थी उस वक्त करीब-करीब अच्छी हालत होती थी और १९५३ के बाद बिहार के जिले में स्कूल स्टूडेंट के स्टाइपेंड की जो कमिटी है वह मनमाने ढंग से स्कूल स्टूडेंट लोगों का स्टाइपेंड वितरित करती है। १९५४ और १९५५ में ३० हाइयर स्कालरशिप को छोड़कर स्कालरशिप बांटा जाय। उसके बाद जब कमिटी ने यह प्रस्ताव पास किया कि नम्बर के मुताबिक स्कालरशिप दिया जाय। उसके बाद तीसरा प्रस्ताव पास हुआ जिसमें इस साल आदिवासियों में जो बड़ाइक, गोड़त, खाड़ियों को स्कालरशिप दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव के जरिये रुपये के गड़बड़ करने का अवसर मिल जाता है और गैर-आदिवासी को भी आदिवासी मान कर कमिटी स्टाइपेंड दे देती है। जैसे हिन्दुस्तान के रहने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि तथा बंगाली वगैरह जो ईसाई धर्म मान लिये वे आदिवासी बन जाते हैं और स्टाइपेंड ले लेते हैं। इस तरह बहुत अन्याय होता रहता है। इस पर सरकार विचार नहीं करती है। इस तरह हमारा रुपया बरबाद किया जा रहा है और हम पंगु बनाये जा रहे हैं।

अब मैं पुलिस के बारे में कहूंगा। इस कलियुग के समय में ये पुलिस के आदमी फंद-फंद करके झगड़े पैदा कराते हैं और रुपया ऐंठते हैं। इससे गरीबों का धन लूटा जाता है और गरीबों को इनसे कुछ फायदा नहीं हो पाता है। आजकल घुसखोरी बहुत

बढ़ गयी है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इससे होने वालीं बुराइयां दूर हों और जनता की रक्षा हो सके।

सिंचाई मंत्री से मुझे यह कहना है कि और जगह तो नदियों में बांध बांधा जाता है लेकिन हमारे छोटानागपुर में मैदान में बांध बांधा जाता है। अफसरों का ध्यान इस ओर दिलाया गया लेकिन उन लोगों ने कुछ भी परवाह नहीं की। इसलिए सिंचाई मंत्री को चाहिए कि वे इस पर ध्यान दें और वहां बहुत सी छोटी-छोटी नदियां हैं उनको बांधने का प्रबंध करें।

अब मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। स्कूल तो किसी तरह खुल जाते हैं और तीन चार वर्ष तक चलते भी हैं लेकिन उसके बाद शिक्षक के अभाव से स्कूल बन्द हो जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह पहली कक्षा के लड़कों को पढ़ाने के लिए अपर प्राइमरी पास शिक्षकों को भी नियुक्त करने का अधिकार दे दे तो मेरा ख्याल है कि शिक्षा की अधिक उन्नति हो सकती है और स्कूल बन्द नहीं हो सकेंगे।

अब मैं बुझारत के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे छोटानागपुर में भी बुझारत हो रहा है लेकिन यह किसानों के लिए आफत है। कर्मचारी लोग लंद-फंद करके किसानों से रुपये एंठ लेते हैं। किसानों ने जिन जमीनों को जमींदार से सलामी देकर लिया है जैसे परती जमीन, परती जदीद, परती कदीम और आम जमीन वगैरह है, उस पर भी ये आपके कर्मचारी रुपये ले लिया करते हैं। हमलोग किसानों को समझाते हैं कि कर्मचारियों का काम जमीन का बुझारत करना है, बनाना बिगाड़ना उसका काम नहीं है लेकिन वह सब बेकार हो जाता है। हमलोगों ने एस० डी० ओ० और सर्किल अफसर से भी शिकायत की है लेकिन वे लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। इसके चलते कितने कर्मचारी पीटे भी गये हैं। इस तरह अत्याचार बढ़ता जा रहा है। सरकार को इस ओर ठोस कदम उठाना चाहिए।

अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो जंगल रैयती है और जो दूसरे की परती जमीन में गाछ लगाया गया है और जो परचे में दर्ज है उसको कर्मचारी लोग कटवाते हैं और बेचते हैं। इस पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

श्री पीरू मांझी—अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं उसी क्षेत्र के लोगों का

दुख आपको सुनाना चाहता हूं। मेरा इलाका पहाड़ी इलाका है। उस इलाके में जो पानी बरसता है वह पानी बांध वगैरह न होने के कारण बह कर गंगा में चला जाता है जिससे फसल मारी जाती है। जिस तरह से उत्तर बिहार में फसल पानी की अधिकता के कारण मारी जाती है ठीक उसके उल्टा मेरे क्षेत्र में फसल पानी के अभाव में मारी जाती है। बांका सबडिवीजन में बौंसी, बेलहर, कटोरिया नामक जगहें हैं जहां की हालत फसल न होने के कारण बड़ी ही दयनीय है। मेरा ख्याल है कि वहां बरसात के पानी को घेर कर रखने का कोई उपाय होना निहायत जरूरी है जिससे वहां की फसल मारी न जा सके। मेरे इलाके में दो तरह का धान होता है। जरहन और लोहना। लोहना धान पहले होता है उसके बाद में जरहन।

इस सबडिवीजन में जो रुपया किसी काम के लिये दिया जाता है वह दूसरी जगह के ठीकेदार के हाथ में पड़ने से वहां का काम ठीक से नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा ख्याल है कि इस इलाके में जो रुपया दिया जाय या जो काम करवाया जाय वह वहीं के ठीकेदार से कराया जाय जिससे स्वीकृत सभी रुपयों का सदुपयोग हो सके।

दूसरी बात यह है कि वहां कटोरिया-बेलहर थाने के अन्दर जंगल पहाड़ के भीतर ग्राम में शिक्षा की बड़ी कमी है। इसलिये वहां कम से कम लोअर प्राइमरी स्कूल सरकार अवश्य खुलवा दे ताकि वहां के लोग साक्षर हो जायं।

कटोरिया-बेलहर-वेंशी थाने के पहाड़-जंगल एरिया ग्राम में अस्पताल नहीं है जो आजकल के जमाने में निहायत जरूरी है। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां अस्पताल का प्रबंध हो।

वहां बहुतसी परती जमीन है। पहाड़ी इलाका होने के कारण वह जमीन बहुत ऊबड़-खाबड़ है जिसको उपजाने लायक खेत बनाने में काफी खर्च होता है। मगर सरकार की तरफ़ से उसके लिये बहुत कम रुपया दिया जाता है अतः सरकार से अनुरोध है कि उसके लिये काफी रुपया दे। एक बीघा जमीन को खेती के लायक बनाने में ४०-५० या १०० रुपया से काम नहीं चलता है। एक बीघा धान खेत बनाने में ४००, ५०० या १,००० रुपया लगेगा, इससे भूमि सुधार होगा और उपज बढ़ेगी।

जंगलों के बीच जो सड़क हैं उनकी हालत भी रद्दी हो गयी है। अगर सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया तो ४ या ५ वर्षों में वह सड़क धंस जायगी और फिर दुबारे खर्च करके सरकार को नयी सड़क बनवानी होगी। इसलिये सरकार को चाहिये कि जल्द से जल्द उस ओर ध्यान दे। पुल की भी हालत अच्छी नहीं है।

वहां ग्रेन-गोला खोलने के लिये मैंने कल्याण विभाग को लिख कर दिया था मगर उसका कुछ भी जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है। देहात में जो धनीमानी व्यक्ति हैं वे गरीब लोगों को दोबारे और पौने दो दोवर पर कर्ज देते हैं जिससे वहां के किसानों की हालत खराब होती जा रही है। इसलिये सरकार को वहां ग्रेन-गोला अवश्य खोलना चाहिये। अगर सरकार ग्रेनगोले का इन्तजाम नहीं करती है तो वहां के गरीब किसान भाग जायंगे।

लक्ष्मीपुर चांदन तथा विरनिया में बांध का जो काम हो रहा है वह बहुत धीरे-धीरे हो रहा है जिससे लोगों में असंतोष है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उस बांध को जल्द से जल्द पूरा करे। इस बांध से दो-तीन हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। विरनिया बांध बांधने के लिये बहुत कम रुपया दिया गया है। अधिक रुपया दिया जाय क्योंकि उस नदी में बांध बांधे जाने पर उससे ७, ८ हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है।

दूसरा लक्ष्मीपुर चांदन नदी से बहुत अधिक एकड़ जमीन की सिंचाई होगी। अनुमान किया गया है कि लक्ष्मीपुर से घोघाकोलगंज तक की जमीन सींची जा सकती है। जंगल-पहाड़ एरिया में कुएं का भी देना जरूरी है।

इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्रीमती रामदुलारी सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट का महत्व वित्त मंत्री

के भाषण के उस भाग से झलकता है जहां उन्होंने यह कहा है कि आज हम उस देहरी पर खड़े हैं जहां से हमारे साहसिक अभियान का दूसरा धावा शुरू होने वाला है, और उस दूसरे धावे में, हमें और भी विशाल दूसरी पंचवर्षीय योजना को कार्यरूप देना है।

बजट की समीक्षा तफसील में करने का कोई प्रयोजन नहीं दीखता क्योंकि मुझे उन बुनियादी सवालों को फिर से दुहराना होगा जो मैंने पिछले वर्ष इस सदन के सामने रखा था। बजट का ढांचा प्रायः वैसा ही है। फिर भी मैं दो-चार महत्वपूर्ण विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

पहली पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और दूसरी योजना की तैयारियां आरंभ हैं। मैं योजना के पक्ष वा विपक्ष की बात नहीं करती और न उसकी सफलता वा असफलता की। किन्तु यह अवश्य कहूंगी कि ऐसी योजनाओं में जनता का सहयोग और उसके उत्साह की आवश्यकता है। प्रथम योजना के आरम्भ और समाप्ति का असर जनता पर है ही नहीं। अध्यक्ष महोदय, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से मुझे पूरा संतोष नहीं है क्योंकि मुझे भय है कि उस काल में इन्फ्लेशन के दौर से जनता शायद पीड़ित हो उठेगी। किन्तु यह भी बर्दाश्त किया जा सकता है अगर हमारे देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का समाधान हो पाता। आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश के लब्धप्रतिष्ठित वित्त मंत्री श्री देशमुख साहब खुद कहते हैं कि जिस अनुपात से वे रोजी दे रहे हैं उससे कहीं अधिक अनुपात में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। फिर भी मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि जन-सहयोग के बिना योजना का कार्यक्रम बेकार है।

मैं प्रशासन, पुलिस, कृषि, शिक्षा, आदि पर कुछ कहना नहीं चाहती हूं क्योंकि उन महकमों पर सदन के सदस्यों ने काफी प्रकाश डाला है। लेकिन उस दिन की कामना मैं करती हूं जब प्रशासन और पुलिस के मुकाबले जन-स्वास्थ्य, इत्यादि पर खर्च अधिक होगा। वरना वेलफेयर स्टेट योहीं मखौल रह जायगा।

अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की शिक्षा और उनके कल्याण की तरफ हमारी सरकार का ध्यान जितना चाहिए उतना नहीं गया है। आज भी हमारे राज्य में महिला कॉलेज और महिला होस्टल की बेहद कमी है।

दक्षिण बिहार में असीम खनिज पदार्थों के बावजूद भी हमारा राज्य इतना गरीब है और बेरोजगारी का केन्द्र बना हुआ है। सालों से सरकार यह उम्मीद दिलाती आ रही है कि दक्षिण बिहार में बड़े-बड़े कारखाने खोले जायंगे। न मालूम मेकानाइट फैक्ट्री जो खुलने वाली थी उसका क्या हुआ। लाह की कीमत बढ़ती जा रही है लेकिन लाह के मजदूर हजारों की संख्या में बेरोजगार होते जा रहे हैं क्योंकि शेलाक बनाने का काम ही हमारे यहां से खत्म होता जा रहा है। अमेरिका को सीडलैक जाता है जहां शेलाक से ग्रामोफोन रेकर्ड तथा अन्य बिजली की वस्तुएं बनाई जाती हैं और फिर हमारे देश में इम्पोर्ट होकर आती हैं। यदि हमारे राज्य में सरकार इस काम को करती तो हम इस देश को इम्पोर्ट से बचा सकते और बेरोजगारी की समस्या भी हल हो पाती। शेलाक इन्क्वायरी कमिटी की रिपोर्ट आज तक यों ही जिल्दों में बंधी रह गई और उस कमिटी की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

इसी तरह अलुमीनियम और अबरख के कारखानों की हालत है। यदि भारत सरकार से पर्याप्त धन नहीं मिलता तो उस ओर उन उद्योगों को खोलने के लिए हमारे राज्य को खुद प्रयत्न करना चाहिए। बिना उसके जमीन का भार हल्का नहीं हो सकता, बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो सकती और निर्धनता दिनोंदिन बढ़ती जायगी। अध्यक्ष महोदय, मुझको खुशी है कि बजेट में छोटे कुटीर उद्योगों पर दूसरी योजना में १२ करोड़ रुपया नियत किया गया है। खादी की ओर जो कदम उठाया गया है वह सराहनीय है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि छोटे उद्योगों का खादी के रूप में सफल होना असंभव है जबतक मिलों के साथ उसका द्वन्द्व रहेगा। कुटीर उद्योग स्वीजरलैंड की घड़ियों या जापान की साइकिलों के रूप में, दस्तकारी तथा कलापूर्ण वस्तुओं के उत्पादन द्वारा ही सफल हो सकता है। इससे हजारों की बेकारी की समस्या भी हल होगी। अतः हमें दूसरे मुल्कों का अनुसरण इस मामले में अवश्य करना है।

आज मैं आपका ध्यान सरकार के पी० डब्ल्यू० डी०, पी० एच० डी० और एलेक्ट्रिसिटी विभागों के कर्मचारियों की ओर ले जाना चाहती हूं। सरकार अपने कानून के

जरिए टाटा और डालमियां के मजदूरों को जो सुविधायें दिला रही है वे सुविधायें वह स्वयं अपने कर्मचारियों को नहीं दे पाती है। इन विभागों के कर्मचारियों की हालत यह है कि सरकारी आर्डर नं० १३४४, तारीख ४ फरवरी १९४९ आज तक लागू नहीं किया गया है और अभी तक इन विभागों के मजदूर परमानेंट नहीं बनाये गये हैं। इतना ही नहीं, टाटा और दालमियां को उनके मजदूरों के लिए मकान बनाने का खर्च सरकार देती है और खुद अपने कर्मचारियों को बेमकान के रखती है। ये पानी और बिजली का काम करते हैं, लेकिन उनके रहने के लिए मकान नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० के कर्मचारियों के लिए अभी तक सरकारी आर्डर के बावजूद भी सर्विस बुक नहीं बन सके हैं. हालांकि इसके लिए क्लर्कों की बहाली हो चुकी है।

हमारे अर्थ मंत्री जो श्रम मंत्री भी हैं, मैं उनसे उम्मीद करती थी कि बजट में श्रम विभाग की उचित सुविस्तार की योजना वह रखेंगे, लेकिन बहुत कम इस विभाग पर उन्होंने अपनी नजर दौड़ाई है। हमारे राज्य को जरूरत है श्रम कल्याण, श्रम पत्रिका, फैक्ट्री इन्सपेक्टोरेट की वृद्धि, रिसर्च सेकशंस, लेबर स्कूल और कॉलेज, कोर्ट, सैनेटोरियम, इत्यादि की। लेकिन इन चीजों पर अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। हालत यह है कि हमारे राज्य में अभी तक ऐग्रिकलचरल लेबर के लिए मिनिमम वेजेज ऐक्ट नहीं लागू किया गया है हालांकि बजट में वित्त मंत्री ने बतलाया है कि पटना और छोटानागपुर डिवीजनों के हर जिले में खेतिहर मजदूरों की मजदूरी का कानून लागू किया गया है। मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भले ही यह कानून कागज पर लागू किया गया हो इसको अभी तक किसी भी जिले में व्यावहारिक रूप नहीं दिया गया है। अन्य असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी भी हर जगह लागू नहीं हुई है जैसे पटने के बगल ही में मोकामा पुल बनाने वाले मजदूरों और कुलियों की हालत जानवरों से भी बदतर है। कंट्रैक्टरों द्वारा वे पीटे जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐक्सिडेंट के ये शिकार होते हैं लेकिन कोई मुआविजा (कम्पेंसेशन) उनको नहीं दिया जाता है।

भारत सरकार इंटरनेशनल लेबर ऑरगैनिजेशन का एक सदस्य है। इंटरनेशनल लेबर ऑरगेनिइजेशन ने इस सिद्धांत (प्रिंसिपुल) को बहुत पहले ही मान लिया है कि समान काम करने के लिए औरतों और मर्दों को समान वेतन मिलेगा। इस सिद्धांत को मानने के बाद भी भारत सरकार ने इसे अब तक किसी भी उद्योग में लागू नहीं किया है। आज कोयले की खानों में तथा अबरख की खानों में और खेतों में काम करने वाली औरतों की हालत बड़ी ही दयनीय है।

अब मैं ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मचारियों के संबंध में कुछ कहना चाहूंगी। २॥ वर्ष पहले जब मोटर ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ तो यह उम्मीद की गई कि इससे जनता की सुविधाएं बढ़ेंगी और मजदूरों की हालत उससे सुधरेगी। साथ-साथ राज की आय भी बढ़ेगी। और इसी उम्मीद पर मोटर राष्ट्रीयकरण में लाखों-लाख रुपये लगाये गये ; लेकिन इसमें घाटे पर घाटा नजर आ रहा है। राष्ट्रीयकरण से जनता की सुविधाओं के बढ़ने के बदले कुलियों और खलासियों को हटा देने से असुविधायें ही बढ़ने लगी हैं।

जहां तक मजदूरों का सवाल है उनकी हालत गुलामों से भी बदतर है। वहां अभी तक फैक्टरी ऐक्ट को भी लागू नहीं किया गया। एक-एक ड्राइवर और कंडक्टर १६ या १७ घंटे काम करते हैं लेकिन उनको ओवरटाइम एलाउएन्स भी नहीं दिया जाता है। इसको तो कम से कम सरकार को देना चाहिये या टाइम पर उनको काम से रिलीव कर देना चाहिये। उनलोगों की यूनियन भी जो है उसको सरकार रिकोगनाइज नहीं कर रही है। यदि सरकार राष्ट्रीयकरण को सफलीभूत बनाना चाहती

है तो उनलोगों की यूनियन को रिकौगनाइज करके उनको हर एक तरह की सुविधा दें। सरकार का बनाया कानून सरकारी मजदूरों पर लागू नहीं होता। यहां तक कि स्टैंडिंग आर्डर का उल्लंघन किया जाता है। मनमाना लोगों को निकाल बाहर किया जाता है। कानून के बावजूद वर्कस कमिटी तक नहीं बनाई गई है। इसके बाद में नहर कर्मचारियों के बारे में कुछ कहना चाहती हूं। सरकारी हुक्म के बावजूद अभी तक उनको रविवार की छुट्टी नहीं मिलती है और सर्विस रूल के बावजूद भी उनसे अधिक काम कराया जाता है। अभी तक पैट्रौल और अमीन जो काफी पढ़ लिखे हैं चौथे ग्रेड में रखे गये हैं हालांकि इनको थर्ड ग्रेड में लेना चाहिये। अभी जो इस विभाग के पी० डब्लू० डी० में जो ज्वायंट कमिटी है वे चीफ इंजीनियरों के यहां ठीक तरह से चल रही है लेकिन सरकारी लेवेल पर जाते ही इसकी सिफारिशें खटाई में फूलने लगती हैं। हमारा ख्याल है कि ज्वायंट कमिटी को चीफ इंजीनियर के ऊपर सेक्रेटरी के लेवेल में भी कर दिया जाय तो इससे मजदूरों की भलाई होगी।

इसके बाद मुझे यह कहना है कि आज कई वर्ष हुए पोलिटिकल सफरर्स और डिस्प्लेस्ड परसन्स को सप्लाई विभाग में लिया गया लेकिन हमेशा उनके ऊपर रिट्रेंचमेंट की तलवार लटकती रहती है। गत वर्ष भी उनकी छंटनी का सवाल उठा था, लेकिन उसमें संगठित एजिटेशन के परिणामस्वरूप फिर रोक दिया गया। लेकिन आज फिर वही हाल है। उनके बारे में मैं सरकार से यह कहना चाहती हूं कि वेलोग अब ओभरएज हो गये हैं और सरकारी काम में एक्सपीरियन्स्ड हो गये हैं इसलिये उनको परमानेन्ट कर देना चाहिये, नकि हमेशे उनको छंटनी की धमकी देनी चाहिये। यह बात विचारणीय है। इसके साथ ही साथ में एक दूसरे सवाल की ओर सरकार का ध्यान खींचना चाहती हूं जो सब सदस्यों को मालूम है और वह यह है कि यहां के सचिवालय में ३ या ४ सौ टेम्पोररी किरानी हैं जिनके बारे में सरकार की ओर से नोटिस दी गयी है कि उनको हटा दिया जायगा। सरकार को चाहिये कि उनको रिट्रेंच न करके उन्हें परमानेन्ट कर दें।

इसके बाद में कुछ बागमती नदी के बारे में कहना चाहती हूं। यह नदी उत्तर बिहार में और खास करके सीतामढ़ी में तो रिवर ऑफ सोरो कहलाती है। यह बड़ी अच्छी बात है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस नदी के किनारे बांध बांधने की योजना शामिल कर ली गयी है और इससे समस्तीपुर और दरभंगा के लोगों को भी फायदा होगा लेकिन सीतामढ़ी में यह नदी बड़ा उत्पात मचाती है। वहां पर इसको डैम करने या इस पर बांध बंधवाने की ओर सरकार का ध्यान जल्द से जल्द जाना चाहिये जिससे वहां की जनता का दुख दूर हो।

अन्त में अपने इलाके की ओर आती हूं। इस इलाके में मेजरगंज बैरगनियां होकर सुगौली तक एक सड़क जाती है जो बड़ी ही पुरानी सड़क है। इस सड़क का कमर्शियल भैलू भी बहुत ही ज्यादा है फिर भी इसकी अवस्था शोचनीय है। बाज जगह तो इस सड़क में इतने बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं कि अगर उनमें हाथी को भी खड़ा कर दिया जाय तो दिखलायी न पड़े। मैं चाहती हूं कि इस सड़क की ओर सरकार का ध्यान बहुत जल्द जाना चाहिये और इस सडक की हालत में सुधार होना चाहिये।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि इस बजट में हर विभाग पर खर्च करने के लिये रुपया रखा गया है लेकिन जिस अनुपात में रुपया खर्च होता है उस अनुपात में काम नहीं होता है। अगर उसी अनुपात से काम भी होता तो

अब तक बिहार का नक्शा ही बदल गया होता। जनता तो सरकार को अपना सहयोग देने के लिये तैयार है लेकिन हर काम में सरकार अपने अफसरों की दुहाई देती है। मेरा भी यही ख्याल है कि अगर इस देश की सरकार के अफसर एफिसिएन्सी, दूरदर्शिता, ईमानदारी, लगन, उत्साह और प्लैनिंग से काम करते तो बहुत कुछ काम हो सकता था और देश की हालत सुधर सकती थी इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार और इसके अफसरों का ध्यान खींचती हूं जिसमें वे लोग अदूरदर्शी न होकर दूरदर्शी हों और प्लैनिंग करके ईमानदारी के साथ किसी काम को करें और दूसरी पंचवर्षीय योजना के सभी कामों को पूरा करें तो सचमुच देश का नक्शा ही बदल जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वित्त मंत्री को बजट भाषण के लिये धन्यवाद देती हूं।

*Shri BHOLA NATH BHAGAT: Sir, I welcome the budget that has been presented before the House, but when we look at it, we find that there is a very huge amount proposed to be spent for the development of the schemes all over the State. There is a deficit of rupees thirty crores and the whole amount of the budget is for about rupees ninety-six crores. We are also going to incur expenditure of a very large amount which we are to get as loan as the Finance Minister has admitted that the total amount of loans will be evident from the fact that it exceeds the ordinary revenue of the State. So far we have no doubt that we are going to spend a very huge amount for the reconstruction and development of the schemes, but let us examine how we are going to spend it. We are just going to finish the term of the First Five-Year Plan and to begin the Second Five-Year Plan. From whatever angle we see the Five-Year Plan, we find that it is not very promising. Much has been said about the Community projects and the development blocks. Unfortunately, there is one, development project and Community project in my area. To day, the Revenue Minister has painted a rosy picture about the development works in Mandar and Ranchi areas, but we see that only figures have been worked out and the officers who are in charge of the schemes have altogether failed to evoke public enthusiasm, and there is no progress in the actual work.

Now, supposing, Sir, a road is to be constructed, say 3 miles of road is to be constructed. The estimate is prepared in such a way that with the amount which is spent in constructing the 3 miles of the road, the whole road, would have been constructed.

Another thing that you will find, Sir, that the estimate about the water supply and other works have been so manoeuvred and made that if we examine and assess the work we would find that they are not worth even 50 per cent of the estimated cost. So we find that the figure of the First Five-Year Plan is not very promising and unless and until the officials are enthusiastic and exert themselves heart and soul we do not think the Second Five-Year Plan would be successful. Then, Sir, I shall draw your

attention to some of the problems of Chotanagpur. What do we find? We find that their attitude has altogether failed to make or to have a scientific approach to the problems of Chotanagpur, far less to suggest any lasting solution. Our problems unfortunately are quite different from the problems of North Bihar. You know, Sir, Ranchi is the largest district in the State and covers an area of 8,000 sq. miles. There are subdivisions which are quite equal in area as that of Patna, Saran or Muzaffarpur. Now what happens. When officers begin the work of planning they start with the subdivision, with the district and with the thana. When this kind of planning is done, having the basis of district or subdivision or thana, our problems perhaps will not be solved even in generation. The area of one thana sometimes is equal to one subdivision of North Bihar. Supposing you give one hospital there or one Girls' Middle School, that will not solve our problem. Moreover, as Mrs. Ramdulari Sinha just pointed out, you have not been able to explore shellac and lac which is the most important problem of the area. In the year 1954-55 from Calcutta only lac and shellac, that is raw material, worth Rs. 17 crores was exported to the foreign countries. Now in Second Five-Year Plan also we do not find there is any industrial development or any factory which is going to be started for finished goods where we could consume these lacs and shellac. If industrial development would have been in the proper line, I think, instead of 17 crores we would have earned 70 crores and lakhs of people who are unemployed would have been employed. I am much constrained to say that your officials have not got any insight or imagination into our problems. We feel that we are unfortunate people of this State. We sometimes think that we are under some alien Government. They cannot solve our problem. Moreover, the general attitude of the officials is equally bad. I can cite some instances as to what kind of attitude our officers have. One Subdivisional Officer of Ranchi was found guilty by a Sub-Judge. The Sub-Judge had remarked against him. The purport of the remark is that the action of the Subdivisional Officer was not in good faith and also made several remarks against the conduct of that particular officer. He was convicted because he was found guilty and there is a case against him in the High Court. I am glad that the Judicial Minister is here. We are surprised to learn that Government have decided to defend that officer. Another instance is that one big officer was coming from Chaibasa to Patna and accident took place. You will be shocked to learn that a child who was the victim of the accident was knocked down to 77 feet. What a horrible thing! The child was standing on a raised plat form and the car was in motion because the officer was coming hurriedly to Patna and he dashed against the child. The police submitted a final report. Another case that I cite will show how the police

administration has become corrupt and bad. When the S. R. C. visited our part there was a great rush. About one lakh of people had gathered on either side of the road. There was a car which met with an accident but the car escaped. The Inspector of Police and other high officials went to the thana but no action was taken against the owner of the car because the car belonged to the Inspector. I am shocked to say that particular Inspector is said to belong to a very respectable family of Patna City.

Then, Sir, there was another accident which took place near my house in which one police officer was coming on in his motor-bike with another person on his back, and he dashed an old infirm woman and she died, but the police submitted final report. I can cite examples of dozen of cases in which no judicial enquiry was done and the police submitted final report. This shows how the people of this area are being administered.

Regarding planning. I find that the planning is mostly done by the officers in their offices and in the files. The officers do neither take the local people into confidence in this matter nor do they visit the interior villages where their motor cars cannot go, and therefore, naturally, their schemes do not go to benefit the poor people living in interior villages. The result is that only schemes of superficial value are taken up and the most neglected areas remain neglected for ever.

We the people of Chotanagpur do not grudge that large number of irrigational schemes are being carried out in North Bihar nor do we demand that Government should also spend money on the same scale in our areas as in North Bihar, but we do desire that Government should have the sincere heart to solve our problems. Recently I had put a question on the floor of the House whereby I wanted to show that there was not a single maternity centre, child welfare centre or a hospital in our area which has an area of 75,000 sq. miles. We thought that the Medical Minister, a youngman, would look to our problems and try to ameliorate our difficulties in this regard, but probably he is lost in the Kosi or has not the time or energy to look into the affairs of Chotanagpur. There are maternity centres at Ranchi, Dhanbad, Jamshedpur, Purulia and Chaibassa, but the interior part of Chotanagpur, which is nearly thrice as large as some of the districts of North Bihar, is going without any medical aid. If Government are really sincere, they should take tangible steps to provide medical aid in our area.

The attitude of the officials towards our people is far from satisfactory and can rather be said to be most annoying. The officials are almost all from North or South Bihar or from other States and they do not understand the problems of Chotanagpuris and their treatment with the people is arrogant.

SPEAKER : What is the harm if your Ministers understand your problems ?

Shri BHOLA NATH BHAGAT : But they are not able to cope with the officials, Sir. You will be surprised to hear, Sir, that the officials say that we have not come to Chotanagpur on pilgrimage—for that we have the Ganga near our very doors and we can even go to Allahabad or Benares on pilgrimage—, we have come to Chotanagpur to rule and administer, and some of them even go so far as to say that if we lick a few drops it will not quench our thirst. If in this year of grace, 1956, such things are happening amongst us how can we talk of the creation of a socialistic pattern of society.

Sir, I fully agree with my friend, Shri Ramlakhan Singh Yadav in his suggestion that only such persons should be taken in Government services who have no relations in such services. That would go to create socialistic pattern in services also. Have the Government the desire to issue a circular to the effect that first of all in non-gazetted posts those persons should be given preference in the matter of appointment, who have no relation in Government service, provided they are otherwise qualified ?

With these words, Sir, I resume my seat.

*श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह—अध्यक्ष महोदय, इस पूरे बजट सेशन में सदन के सदस्यों

ने बजट का पूरा खाका खींच डाला। अभी कुछ देर पहले हमारे साथी श्री रामलखन सिंह यादव ने कहा है कि सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया है और सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की ओर हमलोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तथा उन्होंने बढ़ने का प्रमाण भी पेश किया और उदाहरण भी दिया। उनके उदाहरण जमींदारी एबोलिशन, बटाईदारी बिल और जमीन की सिलिंग के बारे में थे। हमलोगों ने बहुत दिनों तक जमींदारी प्रथा के नाश के लिए नारा लगाया और आखिर में जमींदारी प्रथा का नाश भी हो गया, लेकिन नाश नाम के लिए ही हुआ या यों कहिए कि जमींदारी जो दूसरे लोगों के हाथ में थी वह अब सरकार के हाथों में आ गयी। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि जमींदारी में जितनी कुरीतियां और बुराईयां थीं और जो ऐब थे उन सारी चीजों को लेते हुए सरकार ने अपने हाथ में जमींदारी ली है। जमींदारों के वक्त में तो जमींदार के प्यादे डंडे के जोर से रैयतों से दो आना या चार आना वसूलते थे, लेकिन आज तो इनके कर्मचारी, सर्किल इन्सपेक्टर और अंचलाधिकारी लोग दिन-दहाड़े पैसे उनलोगों से लेते हैं। उनके जघन्य काम को देखते-देखते हमलोगों का मन ऊब गया है और उनके अत्याचारों को कहने का मन नहीं करता है। हुजूर, एक टेबुल सर्वे का नक्शा चला हुआ है। इस काम के लिए कर्मचारी लोग अगर केवाला और डोकुमेंट किसानों के पास रहता है तो उनसे २ रु० बीघा लेते हैं और अगर रसीद नहीं रही तो उनसे ४० सैकड़े के हिसाब से लेते हैं। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार का काम सरकार का रहा तो इस क्रांतिकारी कदम की जगह पर यह कदम रिएक्शनरी हो जायगा, ऐसा हमारा अन्दाजा है। हमारे सौभाग्य से अभी हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर साहब भी आ गए। इन कर्मचारियों के चलते देहातों

के लोग नाकोदम हो गए हैं और रैयतों की तकलीफों की सुनवाई कहीं भी नहीं होती है। मुझे एक अंचलाधिकारी के विषय में तजर्बा है कि उन्होंने एक अगलग्गी की दरखास्त को इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस पर थाना कांग्रेस कमिटी की सिफारिश थी। उन्होंने कहा कि चूंकि इस पर कलक्टर का हुक्म नहीं है और कांग्रेस कमिटी की सिफारिश है, इसलिए मैं इस दरखास्त को नहीं लूंगा। आज ही, कांग्रेस के प्रधान की चर्चा की गयी थी कि मुंगेर में नन्द कुमार सिंह सब कुछ हैं। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अभी २५ रोज पहले की बात है कि अंचलाधिकारी ने इसलिए दरखास्त नहीं ली चूंकि उस पर थाना कांग्रेस कमिटी की मुहर लगी हुई थी। दूसरी बात में पौलिटिकल सफरर्स के बारे में कहना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि मुंगेर के लिए कलक्टर कुछ नही है जो कुछ हैं वह कांग्रेस का प्रधान ही है और उसी के हुक्म से सब काम होता है। लेकिन आज तो यह देखा जाता है कि जो खुशामद की कला जानते हैं वे ही सब कुछ पाते हैं। हमारे जिले के एक सदस्य विरोधी दल में हैं और इस कला को अच्छी तरह से किये हैं। जिस पोलिटिकल सफरर के केस में उनका इन्टरेस्ट रहता है उसकी दरखास्त को लेकर वे आते हैं और गैरकानूनी ढंग से यानी सरकार की नीति के खिलाफ पोलिटिकल सफरर फंड से रुपया लेते हैं। एक केस में उन्होंने २,५०० रु० लिया है। अगर इस चीज को हमलोग सरकार की नजर में लाते हैं तो हमलोग बदनाम हो जाते हैं। कहा जाता है कि मुंगेर के लिए नन्द कुमार सिंह ही सब कुछ हैं, लेकिन जिनको सलाम-बन्दगी करने आता है और जिनको कला मालूम है उनको २,५०० रुपये मिल जाते हैं, और नन्द कुमार सिंह के हुक्म का कोई असर नहीं होता है। ये तो गलत काम करते हैं और बदनामी हमलोगों के मत्थे आती है। खैर, जब हमारी पार्टी की सरकार है तो बदनामी से भागना नहीं होगा। रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इसको रोकने के बारे में आश्वासन दिया है उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। आप जमींदारी प्रथा को खत्म करके उसकी बुराईयों को खत्म नहीं कर पाये हैं और आपका अंचलाधिकारी अब एक थाने का जमींदार हो गया है और दिनोंदिन घूसखोरी का बाजार इससे गर्म होता जा रहा है। इसलिए सरकार को और सदन को इसपर सोचना चाहिए और मैं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से अर्ज करूंगा कि वे अपने महकमे की तरफ आंख उठा कर देखें और आंख को बन्द नहीं करके रखें। अगर इस प्रकार से काम होता रहेगा, तो क्रांतिकारी कदम की जगह पर रिएक्शनरी कदम हो जायगा। आपने बटाईदारी बिल को पास करके एक वृहत् कदम उठाया है, लेकिन अगर अपने आफिसर्स पर कड़ी निगाह नहीं रखेंगे और उसे चाबुक नहीं लगायेंगे तो जिन गरीबों के वास्ते आपने ये क़ानून बनाये हैं उन गरीबों की भलाई कभी भी नहीं हो सकती है और उनका सर्वनाश हो जायगा। आज चारों ओर एक तमाशा हो गया है। बेदखली जमीन के लिए अगर कोई दरखास्त पड़ती है तो अंचलाधिकारी और कर्मचारी लोग उसमें पैसे बनाने के फेर में ही रहते हैं, इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए।

अब मैं इरिगेशन मिनिस्टर साहब का ध्यान बरहिया टाल की ओर ले जाना चाहता हूं। वहां की नदी में बराबर पानी रहता है और सरकार की बिजली भी अब वहां पहुंच गई है। वहां ट्यूब-वेल की भी जरूरत नहीं है। उस टाल के लिए अगर सिंचाई का इन्तजाम कर दिया जाय तो उस बरहिया टाल की भूमि में एडिशनल मकई की उपज हो सकती है। इसकी उर्वरा भूमि को अगर उपजाऊ बनाया जाय तो काफी फायदे की होगी, और वह बेकार नहीं जायगा। लौ एंड आर्डर की बात भी कही जाती है। हमारे बरहिया पिपलिया के लोग लौ एंड आर्डर को नहीं

मानते हैं। वहां के सोशलिस्ट भाई के बहकावे में आकर वे लोग कानून को नहीं मानते हैं। वहां पर दिन-दहाड़े राहजनी और डाकेजनी होती है और रास्ते चलते लोगों का खून कर दिया जाता है और बेगुनाहों को फंसाने की कोशिश की जाती है। उनकी आंखें निकाल ली जाती हैं और उनकी हत्या की जाती है और जिन लोगों से उनका झगड़ा है उनको फंसाने की कोशिश की जाती है। यह काम आज से जारी नहीं है बल्कि ६-७ साल हो गये । लौ एँड आर्डर का पिपरा में यही तमाशा है और ऐसा मालूम होता है कि वहां कोई सरकार ही नहीं है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पिपरा में इन चीजों की जांच करायी जाय और इसी सिलसिले में जो दोषी हों, हम किसी एक पक्ष की बात नहीं करते हैं, जो दोषी हों चाहे वे बड़े कहे जाते हों या छोटे कहे जाते हों उनके खिलाफ सख्त कारवाई की जाय, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि जब इतना जोर है तो अराजकता इतनी बढ़ जायगी कि हमारे और आपके लिए संभालना संभव नहीं होगा। इसके अलावा इसका दूसरा रंग भी हो सकता है। ये सब चीजें हमारे यहां चल रही हैं जिन्हें रोकने की कोई तरकीब सरकार को सोचनी है। लो एँड आर्डर के इंचार्ज हमारे मुख्य मंत्री हैं लेकिन वे तो यहां हैं नहीं। शायद रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जवाब देंगे तो वे भी यहां से चले गये इसलिए मैं अब कहूं किससे, पीछे में डंका बजाना अच्छा भी नहीं लगता।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहने जा रहा था कि इस तरह की चीजें हमारे यहां चल रही हैं और जो समाज का ढांचा बना हुआ था उसको हम तोड़ने जा रहे हैं। यह बात ठीक है कि यह एक क्रांतिकारी कदम है लेकिन ऐसा कदम उठाने के लिए सरकार में जितनी ताकत चाहिए उतनी ताकत उसमें नहीं है। कदम को ऐसा जमकर और इतनी मजबूती से रखना चाहिए कि कानून जो आप बना रहे हैं उसको जनता से मनवा सके तभी कानून की यह खूबी है और खूबसूरती है वरना आप रोज कानून यहां बनाया करें और लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे। और इसी बल पर आप यह कहते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी की तरफ आप बढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में यह बिल्कुल गलत है। आप चाहते हैं कि पूरा राज्य एक कल्याणकारी राज्य बने तो एक बात की ओर आपको ध्यान देना होगा वह यह है कि आपकी जो मशीनरी है वह बिल्कुल बिगड़ी हुई है। उसका आपको ओभरहौलिंग करना होगा और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम-से-कम ओयालिंग करायें और उसमें तेल डाल कर उसे चालू करने की कोशिश करें। मैं एक खास बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एक दरखास्त को कलक्टर के यहां से एस० डी० ओ० तक पहुंचने में केवल २५ रोज लग जाते हैं हालांकि दोनों का फासला २५ कदम से ज्यादा नहीं है। उसमें भी पार्टी अगर पैरवी नहीं करे तो शायद दरखास्त वहीं की वहीं सड़ती रह जायगी। यह अवस्था है आपके न्यायालय की। इतना ही नहीं १४४ का मुकदमा भी सैकड़े पच्चीस साठ दिनों के बाद ड्रोप हो जाता है और उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। यह तमाशा आपके यहां हो रहा है और ऐसा मालूम होता है कि हमलोग सब कुछ देख रहे हैं और कुछ कर नहीं सकते। मैं कहता हूं कि हमारी पार्टी की गवर्नमेंट है। लोग कहते हैं कि मुंगेर जिले के लोग गवर्नमेंट पर ही शासन करते हैं लेकिन मैं यहां आपके सामने खड़ा होकर यह ब्यान दे रहा हूं कि मैं असहाय होकर यह सब तमाशे अपने यहां देख रहा हूं लेकिन कुछ नहीं कर सकता और न जनता को मदद पहुंचा सकता हूं। १४४ के मुकदमें का फैसला जल्द नहीं हुआ तो इसका नतीजा होता है बदअमनी। अंग्रेजी मशीनरी जो पहले थी उसमें शायद कुछ ही तबदीली हुई है लेकिन पहले ६० दिनों में इसका फैसला हो जाया करता था और आज तमाशा यह है कि वकील, मुख्तार, परेशान हो रहे हैं। एस० डी० ओ० से अगर पूछा

जाय कि १४४ का फैसला क्यों नहीं हुआ तो वे कहते हैं कि क्या बतलायें इतने काम बढ़ गये हैं कि मुकदमा देखने का हमें मौका नहीं मिलता, यह अजीब बात है। सरकार को देखना चाहिए कि अगर सचमुच में काम बढ़ गया है और एस० डी० ओ० मुकदमा नहीं देख सकते हैं तो एक दूसरा हाकिम वहां रखना चाहिए कि मुकदमें का फैसला करे। ऐसा भी नहीं हो तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को आप डिप्यूट करें जो मुकदमों की सुनवाई करें और जल्द से जल्द उन्हें खत्म करें। लेकिन अजीब मुसीबत है कि हमारे सामने कोई भी रास्ता नहीं निकलता है और लबड़धोंधो जैसी बात हो रही है। यह सुन कर आपको आश्चर्य होगा कि अगर हम कुछ कहते हैं तो सभी लोग यह बोलते हैं कि आपकी पार्टी है, आपकी सरकार है, तमाम ही ऐसी बात हो रही है। अजीब मुसीबत है कि जो मैं कहता हूं वही अफसर भी कहते हैं, वही सिपाही भी बोलते हैं और वही दारोगा जी भी बोलते हैं। एक दारोगा जी से जब मैंने कहा कि घूसखोरी का बाजार इतना गर्म हो गया है इसको कुछ तो आप कम कीजिए, अध्यक्ष महोदय, हमने उनको बन्द करने को नहीं कहा बल्कि कुछ कम करने के लिए कहा तो इस पर वे बोले कि हमको क्या कहते हैं आपके मिनिस्टर साहब खुद घूस लेते हैं। यह बात समझ में नहीं आती कि किसको हम क्या कहें। कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा समय आ गया है कि सोच-समझ कर हमें कोई क्रांतिकारी कदम उठाना पड़ेगा या जनता में इस तरह की जागृति पैदा करनी होगी कि वह गवर्नमेंट मशीनरी के खिलाफ जेहाद बोल दें। अध्यक्ष महोदय, हम इन तमाम बातों को नहीं कहते और आप जानते हैं कि हमारी ज्यादा बोलने की आदत भी नहीं। सदन में हमारे भाई बड़े जोरों से बोलते हैं, सवाल भी करते हैं, लेकिन मेरा तो सवाल भी बहुत कम हुआ करता है। सवाल की अब कोई खास अहमीयत भी नहीं है। हम आपको बतलायें कि एक अफसर से हमने असेम्बली के जवाब के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हां, कुछ जवाब दे दिया, सवाल तो असेम्बली में होता ही रहता है, जितने दिनों असेम्बली चलती है हमलोग के नाक में दम रहता है, सवाल से होने वाला ही क्या है? यही, अध्यक्ष महोदय, अब सवाल का महत्व है और हमलोग असेम्बली के मेम्बरों का महत्व है। अफसरान भी असेम्बली की कोई कीमत नहीं समझते और यही हमारी सरकार है और हमारा क्रांतिकारी कदम है।

श्री शाह मुहम्मद उजैर मुनीमी—मैं माननीय सदस्य से यह जानना चाहता हूं कि अभी

जो उन्होंने यह बयान दिया कि दारोगा कहते हैं कि मंत्री लोग भी घूस लेते हैं तो इस बात को लिख कर उन्होंने मंत्री को दिया?

श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह—हुजूर, मैं आपके द्वारा यह कह देना चाहता हूं कि लिख

कर दिया गया, डेपुटेशन में जाकर कहा गया इन्क्वायरी भी हुई, लेकिन इसके बाद कुछ प्रमाणित नहीं हो सका।

अध्यक्ष महोदय, आपका जो प्रमाणित करने का तरीका है वही गलत है। एक आदमी दरखास्त लेकर जाता है तो कहा जाता है कि गवाह लाओ, गवाह लाया गया तो कहा जाता है कि गवाह में विश्वास नहीं है। यह तरीका आपका बिल्कुल गलत है। इस तरीके को दुरुस्त करने की तरकीब आप सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि हमारी बातों को सुन कर आप नाखुश हों।

अध्यक्ष—अब आप समाप्त करें।

श्री राजेश्वरी प्रसाद सिंह—अच्छी बात है हुजूर, मैं बैठ जाता हूं।

*श्री बैजनाथ सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और आपका ध्यान कुछ बातों की ओर आकृष्ट करता हूं। हमारे बजट में जो टैक्सेशन पौलिसी है उससे हमारे साथी संतुष्ट नहीं थे, और इसके खिलाफ बोल गये। यहां तक कि हमारे चीफ व्हिप ने भी कहा कि बिहार में इस वक्त टैक्स लगाना मुनासिब नहीं था। किन्तु मैं आपका ध्यान सेकेंड फाइव-इयर प्लैन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। हमारे जो स्वप्न हैं उनको आप देखें। इंडस्ट्री को बढ़ाना, अनइम्पलायमेंट को दूर करना, प्रोडक्शन को बढ़ाना और इस तरह की अरबों की स्कीम बनी हुई है। यदि इन सब चीजों के लिए आप कर नहीं लगायंगे तो यह स्कीम कैसे पूरी कर सकेंगे। एक तरफ दूसरी पंचवर्षीय योजना को पूरा करने के लिए जितने रुपयों की जरूरत है उसके लिए आपके पास रिसोरसेज नहीं हैं तो हमें फौरेन कंट्रीज से मदद लेनी होगी, लेकिन दूसरे कंट्री से लोन के लिए हमें विशेष आशा नहीं रखनी चाहिए। अगर हमें अपने स्वप्नों को पूरा करना है तो जरूरत है कि हम इसके लिए कुछ टैक्स लगायं। और तभी हम इसको पूरा कर सकते हैं। हमें हार्ड लेबर करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा सैक्रीफाइस करना है, हम आधा पेट खायंगे और हम नाना प्रकार की मुसीबतों को उठा कर इसे करेंगे जिससे आने वाली पीढ़ी को फायदा पहुंचावेंगे। यदि हम पसीना बहायंगे तभी हमलोगों का जेनरेशन आराम करेगा। हम बजट का स्वागत करते हैं। टैक्सेशन जो हम पर लगाया गया है वह ठीक है। बिहार गवर्नमेंट जो कदम उठा रही है उसके लिये हमें गर्व है और इसके चलते हमारा सर सारे भारत में ऊंचा है। एक कदम मरजर का था जिसका प्रस्ताव कल ही पास किया गया है वह सचमुच ही सही कदम था जिसकी वजह से हमारा सर सारे हिन्दुस्तान में ऊंचा है। दूसरा कदम टैक्सेशन का है जिससे राज्य में तरह-तरह की विकास की योजना कार्यान्वित की जायगी। इससे जबकि बंगाल, यू० पी० तथा दूसरे-दूसरे प्रांत भाग रहे हैं वे डरते हैं कि एलेक्शन नजदीक है और टैक्स लगाने से हो सकता है कि हमारी हार हो लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इस ओर जो ठोस कदम उठाया है उसका हम स्वागत करते हैं।

अब मैं बहुत थोड़े शब्दों में अपने जिले की बात कहना चाहता हूं। लोकल डेभलपमेंट वर्क हमारे जिले में जो चल रहा है उससे वहां के लोग संतुष्ट नहीं हैं। सारन जिले में बहुतसी ऐसी स्कीमें लागू की जाती हैं जिसे जनता नहीं चाहती है जहां इसके लिये हमलोग तरह-तरह का प्रचार करते हैं, लोगों में उत्साह भरते हैं। लोकल डेभलपमेंट के ऑफिस में जब लोग किसी काम से जाते हैं उन्हें धक्का देकर निकाल दिया जाता है वहां के ऑफिसरों द्वारा। हम समझते हैं कि यह मशीनरी का दोष है न कि गवर्नमेंट का, फिर भी गवर्नमेंट को इस ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान अपनी कंस्टीच्युएन्सी के एग्रिकल्चरल डिपार्टमेंट की ओर ले जाना चाहता हूं। उस इलाके में बहुतसे मीडियम स्कीम चल रहे हैं। रसौली गांव के लोग उस मीडियम स्कीम की बहुत चीजों को नहीं पसन्द करते हैं। फिर भी उनपर १०७, १४४ दफा चला कर अथवा जबर्दस्ती योजनाएं लादी जाती हैं। इसीतरह गोपालगंज के लोगों को भी हरास किया जाता है। हम समझते हैं कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिये। जो लोग जहां के जैसा चाहें उन्हीं के मुताबिक स्कीम वहां कार्यान्वित करनी चाहिये। दरौली थाने में खेत में काम करने वाले मजदूरों को एक आना मजदूरी दी जाती है जोकि सर्वथा अनुचित है।

किसी तरह से मजदूरों को एक-दो आने दे दिये जाते हैं और मजदूरी का ख्याल नहीं किया जाता है। यह बड़े ही दुख की बात है और इसकी ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये। वहां पर वेजेज ऐक्ट लागू होना चाहिये ताकि उचित मजदूरी वहां के मजदूरों को मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मैं पंचायत के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे जिले में ऐसा होता है कि जो पंचायत में वोट देना चाहते हैं गांव वाले उनको रोक देते हैं और उन गरीबों और हरिजनों को अपने साइड में वोट दिलवाने के लिये बाध्य करते हैं। इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं जाता है। सरकार की मशीनरी बेकार बैठी रहती है और कुछ नहीं कर पाती है। बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमलोगों को फ्री वोट देने का मौका नहीं मिलता है ताकि हम अपना वोट अपनी इच्छा के मुताबिक दे सकें। अध्यक्ष महोदय, हम तो सरकार से अर्ज करेंगे कि सीक्रेट वोटिंग का इन्तजाम वहां होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं ऐंटी-करप्शन की बात कहता हूं। यह कमिटी इसलिये है कि हमलोगों की जो शिकायतें हैं उनकी ओर सरकार का ध्यान जाय और उचित कार्रवाई उसके अनुसार हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि केस प्राइमा फेसी होना चाहिये तब ऐक्सेप्ट किया जायगा। हुजूर, अगर प्राइमा फेसी मूव्ह करना ही है तो फिर मैजिस्ट्रेट के यहां क्यों नहीं करेंगे। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इन्क्वायरी करावे और सच्चाई पर आने की कोशिश करे।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान बैकवर्ड क्लास के प्रौब्लेम की ओर ले जाना चाहता हूं। हुजूर, मैंने १९५२ में ही आपके सामने कहा था कि सर्विसेज में बैकवर्ड क्लास को कोई भी स्थान नहीं है इसलिये उनके लिये सीट रिजर्व होनी चाहिये लेकिन गवर्नमेंट ने दुखदाई जवाब दिया और हमें निराश होना पड़ा। बैकवर्ड कमीशन की नियुक्ति हुई और एक मास में देश के अन्दर चारो तरफ घूमी और इस कन्क्लूजन पर पहुंची कि अगर पिछड़े वर्ग को सचमुच में मदद करनी है तो सर्विसेज में रिजर्वेशन होना चाहिये। फर्स्ट क्लास सर्विसेज में २५ प्रतिशत के हिसाब से, सेकेन्ड क्लास सर्विसेज में ३३.३ प्रतिशत के हिसाब से और क्लास ४ और ३ में ४० प्रतिशत के हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिये। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह इसे शीघ्रातिशीघ्र लागू करे। इसके लिये इंतजारी सरकार को नहीं करनी चाहिये कि जब रिपोर्ट पब्लिश होगी तब ध्यान दिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड क्लास के प्रति सरकार का जो रुख रहा है उससे हमें संतोष नहीं है। हम आप से न्याय चाहते हैं। बैकवर्ड क्लास की लिस्ट में डिवाइड ऐंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई है और हमलोगों में मतभेद का सृजन किया गया है। इसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिये। अगर आज आप रिजर्वेशन नहीं करते हैं तो हम उस दिन की इंतजारी कर रहे हैं जब बिहार और बंगाल का एक यूनियन होगा, सरकार बदलेगी और बिहार के डेवेलपमेंट की ओर उनका ध्यान जायगा। डेवेलपमेंट का पहला कदम बैकवर्ड क्लासेज को उठाना होगा, बैकवर्ड क्लासेज के प्रति उनका दिल उदार होगा। इतना ही कह कर मैं बैठ जाता हूं।

श्री शुभनाथ देवगम—अध्यक्ष महोदय, मैं १९५६-५७ के बजट पर कुछ कहना चाहता

हूं। अफसोस है कि घाटे का बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना और मेरा ख्याल है कि इस घाटे का कारण सरकार की लापरवाही है। हमारे

छोटानागपुर इलाके में माइन्स, जंगलात वगैरह हैं, जंगलों में कीमती पेड़ हैं जिनसे सरकार को काफी आमदनी हो सकती है, इससे वह अपने घाटे के बजट को पूरा कर सकती थी। हुजूर, सरकार के अफसर और पूंजीपति लोग मिल कर......

अध्यक्ष—आपका कहना है कि छोटानागपुर में जितने रिसोर्सेज हैं उनका अगर ठीक-ठीक उपयोग किया जाय तो घाटा बहुत अंश में खत्म हो सकता है।

श्री शुभनाथ देवगम—जी हां। हुजूर, मैं मिसाल देता हूं। हमारे जिले में घनघोर जंगल है जहां बड़े-बड़े साल गाछ होते हैं। वहां जंगल दो तरीकों से बिक्री किए जाते हैं, एक पब्लिक औक्शन से और दूसरा लीज के द्वारा। पब्लिक औक्शन पर जब जंगल बेचा जाता है तो छोटे-छोटे या बड़े-बड़े कूप बनाये जाते हैं और बचे जाते हैं। इस प्रकार बेंचने से सरकार को करीब ४० रु० पर युनिट रोयालटी मिलती है और दूसरा इसमें यह फायदा होता है कि छोटे बड़े ठीकेदार पब्लिक औक्शन में जंगल ले सकते हैं और बेकारी दूर हो सकती है। दूसरा तरीका लीज है। इससे सरकार को करीब १२ रु० पर यूनिट रोयालटी मिलती है। यह बड़े-बड़े पूंजीपति ही ले पाते हैं और इससे बेकारी बढ़ती है। बड़े-बड़े अफसरों से लगाव रहने के कारण पूंजीपति लाखों रुपये हड़प जाते हैं और उचित दाम सरकार को नहीं मिल पाता है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह लीज सिस्टम को खत्म करके औक्शन तरीके को ही रहने दे।

अब मैं बांस के विषय में एक उदाहरण आपके सामने रखता हूं जिससे पता चल जायगा कि किस तरह सरकारी आमदनी को ब्लौक किया जाता है। सिंहभूम में जंगल के बांस को सरकार ने लीज में किसी बड़े ठीकेदार को दे दिया करीब १०-१२ वर्ष के लिये। वह जंगल से बांस कटवा कर, ट्रक में लाद कर अपने डिपो में लाता है। आपके हिसाब से जानबूझ कर ५०० बांस फी ट्रक होता है और उसी हिसाब से आप उससे रोयालटी लेते हैं। यदि हकीकत में गिना जाय तो पता चलेगा कि कम-से-कम ९०० से १,२०० तक बांस फी ट्रक पर वे ले जाते हैं। इस तरह एक ही ट्रक में कम-से-कम ७०० बांस बिना रोयालटी के चले जाते हैं। यह रुपया लाखों-लाख आपके कर्मचारी या ठीकेदार की जेब में चला जाता है। इसी प्रकार आपकी आमदनी के रास्ते अनेक हैं पर आप जानबूझ कर अपने आफिसरों के पाकेट गर्म करते हैं और यहां आपका बजट डेफिसिट हो जाता है।

विदेशी राज्य में जब से वन विभाग बना स्थानीय जनता या आदिवासियों में यह भावना पैदा हो गई कि वन उनकी सम्पत्ति नहीं है क्योंकि वन विभाग के छोटे-बड़े अफसरों ने उन पर नाना प्रकार के अत्याचार किये जिसकी बाहर दुनिया में कुछ भी खबर नहीं है। यह कहना गलत है कि ये आदिवासी वन के महत्व को समझते नहीं हैं। लेकिन उनके ऊपर तरहःतरह के अत्याचार अब भी हो रहे हैं। जंगलों में काम करने वाली औरतों को १० आना और मर्दों को १४ आना मिलता है जबकि मिनिमम वेजेज सवा रुपया रखा है। और भी अनेक अत्याचार हैं पर समय की कमी की वजह से मैं नहीं कहूंगा।

शिक्षा के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे चाईबासा में जिला स्कूल है। वहां क्या होता है? ब्रिटिश शासन के जमाने में जो अफसर गलती करते थे तो उनको पूर्णिया भेज दिया जाता था लेकिन आज जो मास्टर गलती करता है उसको चाईबासा

जिला स्कूल भेज दिया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि वहां की डिसिप्लिन और पढ़ाई एकदम खत्म हो गयी है। एक-आध टीचर कभी अच्छे चले भी जाते हैं लेकिन वे भी थोड़े दिनों के लिए। इस तरह वहां की पढ़ाई-लिखाई बरबाद हो रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

बेकारी के बारे में मेरा कहना है कि वहां के लोग खेतीबारी करके अपना जीवन बिताते थे लेकिन आज माइन्स के चलते, बांध के चलते, कृषि अनुसंधान के चलते, पैदावार जमीन सरकार एक्वायर करती जा रही है और वहां की जनता की रोजी-खेती खत्म होती जा रही है और लोगों में बेकारी बढ़ती जा रही है। इन सब कामों के लिए जो जमीन एक्वायर होती है उसके बदले में उनको रुपये दिये जाते हैं जो रुपये अनावश्यक खर्च हो जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहूंगा कि जमीन के बदले जमीन और मकान के बदले मकान ही एक्वायर होने पर वहां की जनता को देना चाहिए। ए० सी० सी० कम्पनी वहां १७०, १८० वर्ग मील एरिया में है और उसको वहां से बहुत लाभ है। सरकार को चाहिए कि वहां लड़कों को मुफ्त शिक्षा दे और लोगों को काम दे।

श्री जानकी प्रसाद सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, १९५६-५७ का बजट घाटे

का बजट है फिर भी यह घाटे का बजट होते हुए भी प्रगतिशील बजट कहा जा सकता है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यह बजट इस राज्य के कुछ जिले के लिये प्रगतिशील है और कुछ जिले के लिये पक्षपातपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, यदि मैं इतने कम समय में इस उलझनपूर्ण बजट को सिद्ध करने की कोशिश करूं और यह साबित करने की कोशिश करूं कि यह बजट कैसे कुछ जिले के लिये अन्यायपूर्ण है तो मैं इन उलझनों के प्रवेश-द्वार तक ही पहुंच सकूंगा और समय की समाप्ति हो जायगी। इसलिये मैं उन बातों की चर्चा नहीं करके सिर्फ दो विभागों की चर्चा करूंगा और वे हैं कृषि और शिक्षा विभाग।

अध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि यह राज्य कृषिप्रधान राज्य है। इस राज्य के ८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं। मुझे उम्मीद थी, मेरा विश्वास था कि कृषि के सम्बन्ध में सरकार जो रुपये खर्च करती है उससे शायद हमारा फायदा होगा। खासकर मैं देखता हूं कि इस बजट में हमारे जिले के लिए कोई स्कीम नहीं है। मेरे जिले की जमीन ऊंची-नीची है और जंगली पहाड़ी तथा पिछड़ा इलाका है। जब मैंने बजट के पन्ने को देखा और खास कर जब हम प्रथम पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके आज दूसरी पंचवर्षीय योजना के दरवाजे पर खड़े हैं, उस पन्ने को भी देखा लेकिन उसमें भी मेरे जिले के कल्याण की कोई गुंजाइश नहीं है। उस जिले के साथ अन्याय किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे वित्त मंत्री ने कहा है कि १८० हजार एकड़ बंजर भूमि की आबादी हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि यह रिपोर्ट कहां से आयी है और कैसे आई मालूम पड़ता है कि इस विभाग के औफिसरान कागज का घोड़ा दौड़ा कर ही सरकार को गुमराह करने की कोशिश किये हैं। मैं जानता हूं कि लोग दस प्रतिशत घूस देकर बंजर जमीन आबाद करने के लिये रुपये लेते हैं, मिट्टी नहीं कटाते चूंकि पहाड़ी अंचलों में एक सौ रुपये एकड़ कर्ज देने से कुछ भी होने को नहीं है, लोग इस रुपये से दूसरे कार्य करते हैं और अधिकारिवर्ग जान-बूझ कर रुपये देते हैं और सरकार के पास गलत रिपोर्ट भेजा करते हैं। इस संबंध में राय है, अध्यक्ष महोदय, कि ट्रैक्टर या बोलडजर से जमीन उन पहाड़ी अंचलों में बनवायी जाय और खर्च की रकम किसानों से किस्त पर वसूल की जाय। हमारे जिले में माध्यमिक योजना हुई ही नहीं, वृहत् योजना भी नहीं हुई। यदि गोड्डा सबडिवीज़न में एक वृहत् योजना जहां होने जा रही है जिस जगह

बांध बांधने के लिए कहा जाता है आपके अफसर उस जगह कहते हैं कि बांध के लिए उक्त जगह ठीक नहीं है। जेसीडीह थाने में कोकरा बांध कह कर एक स्कीम पर २७ हजार रुपये खर्च किये गये लेकिन आपको सुन कर आश्चर्य होगा कि सावन के महीने में जब मूसलाधार पानी हो रहा था उसमें एक छटाक पानी नहीं था इसकी जांच स्थानीय एस० डी० ओ० ने की और रिपोर्ट में लिखा कि उसमें एक छटाक भी पानी नहीं है। आप सोच सकते हैं कि जिस बांध पर २७ हजार रुपया खर्च हुआ उसमें एक कनवा भी पानी नहीं रहा तो इसीसे यह सिद्ध होता है कि कृषि विभाग में कितनी धांधली है वह जाहिर है। यह कृषि विभाग एकदम बोगस है। मेरी राय है कि सरकार इस सम्बन्ध में सचेत हो जाय और ऐसे गैर-जवाबदेह औफिसरों के ऊपर उचित कारवाई करें।

अब मैं आपका ध्यान शिक्षा विभाग की ओर आकर्षित करता हूं। संताल परगना एक ऐसा जिला है जहां शिक्षा की अत्यंत कमी है। ३ प्रतिशत भी शिक्षा नहीं है। मैं सरकार के फैक्ट्स फीगर्स के अनुसार बता रहा हूं। इस आजादी के स्वर्णिम प्रभात काल में उस जिले के लोग भी शिक्षा की ओर आगे बढ़ें। हमारे मधुपुर थाने के कटौंग्राम में एक हाई स्कूल १९४७ से चल रहा है जिसका नाम "रानी मंदाकिनी हाई स्कूल है" उसको झरिया के राजा चलाते थे। उसकी जमींदारी सरकार ने जब ले ली तो राजा ने लिखा कि अब उस स्कूल को सरकार चलावे। लिखा-पढ़ी चली और सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से उस स्कूल को ५,००० रुपया मिला। उस स्कूल ने सब कंडीशन पूरा किया लेकिन शिक्षा मंत्री मालूम नहीं किस गलित राजनीति के दलदल में फंस कर अभी तक उस फाइल को रोके हुए हैं और उस स्कूल की मंजूरी नहीं दे रहे हैं। मैंने उस स्कूल के संबंध में उनके पास लिखा और उनसे उसके संबंध में उनके घर बातें करने के लिये मैं गया और मैंने एक प्रश्न के दिये गये जवाब का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री से अपील किया कि उन्होंने ही जवाब दिया है कि देहात में पांच मील के अन्दर दूसरे स्कूल की मंजूरी नहीं दी जाती है और "रानी मंदाकिनी स्कूल" का विरोधी स्कूल करौं स्कूल है जो १९५४ में खुल गया है। पर दुख है कि हमें यही जवाब मिला कि सरकार प्रश्न का जवाब अन्ट-शन्ट और गलत दिया करती है; सरकार की दी हुई किताब मेरे हाथ में है जिसका प्रश्न संख्या ७७५, २ फरवरी १९५५ (प्रश्न सितम्बर-अक्तूबर, १९५४) जब मैंने उनको इसे दिखलाया कि ये उनकी शर्तें हैं तो उन्होंने कहा कि जवाब यूंही दे दिए जाते हैं। हमको आश्चर्य है कि सरकार का जवाब इस तरह अंट-शंट हो सकता है।

अध्यक्ष—यहां बातचीत जो हुई है उसका जिक्र नहीं किया जाता है।

श्री जानकी प्रसाद सिंह—हुजूर, जो मुझको जवाब मिला उसको मैं कहता हूं।

अध्यक्ष—आप से जो मंत्री से बात हुई उसको यहां नहीं कहना चाहिए।

श्री जानकी प्रसाद सिंह—बहुत अच्छा। अब मैं बेसिक स्कूल के संबंध में दो-एक बात कहना चाहता हूं। बेसिक स्कूल हमारे प्रातः स्मरणीय जगत गुरु महात्मा गांधी के दिमाग की उपज थी। हमलोगों को इस पर बहुत ज्यादा विश्वास था। इसी विश्वास पर हमारे गांव में एक अपर स्कूल चलता था और कई स्कूल उस एलाके में चलते थे और जिला बोर्ड ने निश्चय कर लिया था कि उन जगहों में मिडिल स्कूल बनावेंगे। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने इस तरह का एक रिजोल्यूशन भी पास किया था और मैं भी बोर्ड का एक मेम्बर

था। लेकिन आज हालत यह है कि न वह एलाका घर का है न घाट का। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि बेसिक स्कूल में जो पढ़ाई होती है वह अजीब है। गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि जो लड़का सीनियर बेसिक स्कूल से निकलेगा उसका नाम ९वें में या कम-से-कम ८वें क्लास में लिखा जायगा। आठवें क्लास में अंगरेजी, ज्योमेटरी, बीजगणित और संस्कृत की पढ़ाई होती है। जहां विद्यार्थी ८ वें में पढ़ते हों और अध्यापक मिडिल ट्रेंड हों और वह भी २० वर्ष बैठे रहने पर जब बेसिक स्कूल की बाढ़ आई तो उसको ट्रेनिंग पाने का मौका मिला इससे आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग की क्या हालत है। न मालूम किस सिलेबस और नियम के अनुसार बेसिक स्कूल की पढ़ाई होती है। स्कूल में क्लास आठवां चले और शिक्षक तीन ही मिडिल ट्रेंड रहें, इसी से यह सिद्ध होता है आज शिक्षा की ओर हम क्या प्रगति कर रहे हैं, इससे यही प्रतीत होता है कि शिक्षा मंत्री उन बच्चों के भविष्य के साथ खेलवाड़ कर रहे हैं, जो एक-एक बच्चा जवाहर और राजेन्द्र होने वाला है। मैं तो यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि शिक्षा मंत्री गैर-जवाबदेही निबाह रहे हैं। सरकार के जितने विभाग हैं सबसे गया-गुजरा और अकर्मण्य विभाग आज शिक्षा विभाग ही हो गया है और यही इस राज्य के लिये खटकने की ही बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, बल्कि बदनसीबी है कि शिक्षा विभाग ऐसे गैर-जिम्मेवार व्यक्ति के हाथ सौंपा गया है।

अध्यक्ष महोदय, जमींदारी हमलोगों ने इसलिये उठाई थी कि जमींदारी उठाने से राज्य की आमदनी बढ़ेगी और इस राज्य को बहुत बड़ा फायदा होगा। जमींदारी उठाने के बाद हमको यह आशा थी कि स्टेट की आमदनी बढ़ेगी और वह आमदनी अच्छे-अच्छे कामों में खर्च की जायगी। लेकिन आज मैं जमींदारी विभाग के कर्मचारियों की बात कहने जा रहा हूं। मैं उस विभाग के इंस्पेक्टर या सर्किल अफसर की क्या चर्चा करूं, उस विभाग के एक उच्च अधिकारी जो एडिशनल कलक्टर कहलाते हैं उनकी चर्चा करना चाहता हूं। हाल ही में जब मैं दुमका गया था तो कुछ कर्मचारी, जो संताली इलाके में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हमलोग गरीब आदमी हैं चालीस पचास रुपये वेतन मिलते हैं, एडिशनल कलक्टर कहते हैं कि फील्ड बुझारत तो तुम लोगों के लिये कामधेनु गाय है जब चाहते हो दुहते हो, हमको भी दूध पिलाओ और तुम लोग भी पीओ। यहांतक कि मुर्गी लाने को कहा जाता है हमलोग संताली इलाके में हैं मुर्गी कौन देगा। आज के जमाने में कुछ करते हैं तो एसेम्बली तक बातें पहुंच जाती हैं मुर्गी तो खरीद कर हमलोग देते हैं, अब कहा जाता है कि प्रधान के यहां से मरुआ लाओ, भला बताया जाय कि अब हमलोग मरुआ कहां से लावें। अध्यक्ष महोदय, जिस विभाग के एडिशनल कलक्टर की यह धांधली हो उस विभाग के कर्मचारी, इन्सपेक्टर और सर्किल ऑफिसर क्या करते होंगे इसीसे अंदाज किया जा सकता है।

इतना ही नहीं, अध्यक्ष महोदय, वहां के एडीशनल कलक्टर ने जो एक जवाबदेह अफसर हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क पर से एक सागुआन का पेड़ जो दुमका-हिजरा रोड पर था, कटवा लिया और उसका फर्नीचर बनवाया। इसके बाद उसे अपने घर भी भेजवा दिया। एक ऐसा अफसर है जो इतने बड़े ओहदे पर होते भी ऐसा काम करता है। जब वहां के बोर्ड के चेयरमैन को मालूम हुआ तब उसने उसके लिये लिखा-पढ़ी शुरू की लेकिन एक बड़े अफसर होने से उसकी लीपापोती हुई। मैं अपने राजस्व मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे इसकी जांच करायें। मैं खासकर माननीय राजस्व मंत्री को चालाक, दक्ष और कार्यशील व्यक्ति मानता हूं बल्कि यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि राजस्व मंत्री सरकार के केबिनेट की रीढ़ हैं, जिस तरह शरीर के वक्षस्थल की सारी पसलियां मेरुदण्ड से गुथी रहती हैं, उसी तरह राजस्व मंत्री सरकार के केबिनेट के मेरुदण्ड हैं। इनके विभाग

से इस राज्य को न्याय की ही उम्मीद नहीं वल्कि बहुत बड़ी-बड़ी आशायें हैं, यदि इस विभाग में भी यही धांधली रही तो यह राज्य कहीं का नहीं रहेगा। अतः राजस्व मंत्री को मैं इस ओर सचेत करता हूं कि इस दिशा में वे कड़ाई से काम लें।

अध्यक्ष—यहां पर फ़ोटो दिखलाया नहीं जाता है। उसे पाकेट में रख लीजिये।

श्री जानकी प्रसाद सिंह—देवघर के जलसार बांध में सरकार की ओर से १६ या १८ हजार रुपये की मिट्टी इसी साल के जून में कटवाने की योजना थी जो काम स्थानीय सर्किल औफिसर के द्वारा करायी गयी थी। सर्किल औफिसर ने इस काम को कराने के लिये शहर के किसी व्यक्ति को ठीका दिया। उस ठीकेदार ने बांध के किनारे-किनारे थोड़ी सी मिट्टी कटवा दी और बीच में जहां गढ़हा था फौल्स पिलर बनवाया जिसकी आठ फोटो मेरे पास मौजूद हैं यदि इजाजत हो तो इसे आपको दे दूं। इसकी सूचना मैंने एस० डी० ओ०, देवघर, डी० सी०, दुमका को दी। इस पर भागलपुर के इंजीनियर ने इस बांध का नाप किया। वहां के औफिसरों ने सर्किल औफिसर को बचाने के लिये इंजीनियर के पास पैरवी की और उसे बाध्य किया कि वे सर्किल औफिसर को बचा दे। उस इंजीनियर ने सिर्कल औफिसर को यह कहते हुए बचाया कि जहां तक संभव था सर्किल औफिसर को बचाया फिर भी बांध में मिट्टी कम कटाने की रिपोर्ट दी। अध्यक्ष महोदय, यदि इंजीनियर को सही तरीके से नापने देता तो उस बांध में मुश्किल से तीन-चार हजार रुपये की मिट्टी नाप में होती पर ऐसा नहीं होने दिया यही इस राज्य के औफिसरों के कारनामें हैं।

अध्यक्ष—फोटो को आप पाकेट में रख लीजिये। यहां पर किसी तरह का फोटो दिखलाया नहीं जाता है। आपका समय समाप्त हो गया। आप बैठ जाइये।

श्री उपेन्द्र नारायण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ओर तो बजट में जितनी स्कीमें दिखलायी गयी हैं उनको देखने से तो संतोष होता है लेकिन दूसरी तरफ जब मैं यह देखता हूं कि काम किस तरह से होता है तब मुझे दुख होता है और उससे तो हमको नाउम्मीदी मालूम होती है। मैं यहां पर सहरसा जिले की कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। हमारा जिला एक कृषिप्रधान जिला है। कृषि विभाग द्वारा खेती करने के लिये यहां सैकड़ों बोरे खाद भेजे गये थे जिसमें जापानी तरीके से खेती हो। सहरसा कृषि विभाग को खाद भेजा गया, उसके पास गाड़ी भी थी लेकिन फिर भी उसको उचित समय पर निर्दिष्ट जगहों पर न भेजा गया जिसके चलते वह सब खाद बरसात में बाहर पड़े रहने के कारण पानी में सड़-गल गया और उसको समय पर न बांटा गया। इसके बारे में जब मैंने यहां पर सवाल पूछा तब जो जवाब हमारे कृषि मंत्री की ओर से मिला वह बड़ा ही असंतोषजनक था। यहां पर तो ऐसा मालूम होता है कि प्रश्न का कोई महत्व ही नहीं है। अफसर लोग जो जवाब दे देते हैं वही यहां पर दे दिया जाता है और सरकार उनकी रिपोर्ट को ठोस ही मान लेती है। इस तरह से हमलोगों के प्रश्न का वहां पर मखौल उड़ाया जाता है। अफसर लोग भी कहते हैं कि विधान सभा में प्रश्न पूछने से क्या होगा, जवाब तो हम ही को देना है और यह कह कर हमलोगों का मखौल उड़ाते हैं। अगर यही हालत रही तो इस विधान सभा का कोई महत्व ही नहीं रह जायगा। विधान सभा में एक दूसरा प्रश्न मैंने डा० सन्याल के बारे में पूछा

जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। डा० सन्याल ने नौहट्टा प्राइमरी सेन्टर से ७०० रु० एलाउएन्स के रूप में लिया हैं हालांकि वे अभी भी प्रैक्टिस सहरसा सदर अस्पताल में करते हैं। सिविल सर्जन के सहारे पर उन्होंने ऐसा किया है और उसी के पास हमारे प्रश्न का जवाब देने के लिये भी भेजा जाता है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे यहां के बड़े-बड़े अधिकारी भी जब इस तरह की हरकत करते हैं तब कहां तक सच्चाई से काम हो सकता है। जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐन्टी-करप्शन कमिटी के हमलोग सदस्य हैं जब वहां पर इस तरह की बातें उठायी जाती हैं तो वहां पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वह कमिटी तो बिल्कुल फार्स है, उसके द्वारा कोई सुधार का काम नहीं होता है। उच्च अफसरों को भी जानकारी रहती है परन्तु वे भी भ्रष्टाचार रोकने में कुछ ठोस कदम नहीं उठाते हैं।

सरकार के कर्मचारी लोग भी मनमाना ढंग से रुपया कमा रहे हैं। फील्ड बुझारत का फौर्म लोगों में हमलोगों ने बांटा, लोगों को समझाया फिर भी कर्मचारी चकमा देकर पैसा बनाते हैं। फील्ड बुझारत को टेबुल सर्वे कहते हैं और लोगों से इस नाम से भी कुछ न कुछ ले लेते हैं। कुछ आदमी कर्मचारी को अपने घर पर ले जाते हैं, खूब खिलाते-पिलाते हैं और चलने के वक्त कुछ रुपया भी देते हैं और अपना काम बनाता हैं। हमारे जानते घूसखोरी तो पहले से ज्यादा बढ़ गयी है। ऐसी बात नहीं है कि इसकी जानकारी बड़े-बड़े अफसरों को न हो लेकिन वे तो खुद अकर्मण्य हैं और सरकार भी जब कुछ नहीं करती है तब बड़ा दुख होता है। इस तरह के काम से हमलोगों का और हमारी सरकार का पोजीशन भी खराब होता है और जनता के सामने हमलोगों का सर नीचे गिर जाता है।

सरकार कीं इस गतिविधि से हमें तो बड़ा दुःख होता है। हमारी पोजीशन दर्दनाक होती है, जनता के सामने हमें नीची नजर रखनी पड़ती है। अब मैं सरकार का ध्यान सहरसा जिले की पुलिस की ओर ले जाना चाहता हूं। खास करके किशुनगंज थाने में एक बी० एल० केस चल रहा है। बदमाशों के नाम पर वहां के कुछ बेगुनाह लोगों को पुलिस तंग करती है और उनसे रुपये वसूल करती है। वास्तव में बदमाश तो वहां से भागे फिरते हैं और जो बेगुनाह हैं, उन निरपराध लोगों पर जुल्म होता है। अगर इसी तरह की बात चलती रही तो सरकार के प्रति जो हमारा विश्वास और भरोसे की भावना है वह छिन्न-भिन्नसी हो जायगी। हमें आश्चर्य तो इस बात का होता है कि जो हमलोग यहां सरकार से अपनी बातें कहते हैं वे इस तरह काफूर हो जाती हैं जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज। इसका बहुत बुरा असर सरकार के अफसरों पर पड़ रहा है। दिन पर दिन लापरवाह होते जा रहे हैं। अगर आपने हमारी हितेच्छा की बात नहीं सुनी तो हमें इस बात का दर्द तो अवश्य होता है। "सुहृ वाक्यम् न श्रृण्वन्ति ठातायुषः" यह लक्षण देख कर हमें भय होता है और हम सोचने लगते हैं कि ऐसी बातें क्यों होती हैं। यह बात भी सही है कि हमारी सरकार की जिन्दगी बहुत लंबी है। इसके मुकाबले के लिए कोई और दूसरी संस्था तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस सरकार अगर इस तरह की ढिलाई बहुत दिन तक देती रही तो हमारी सरकार पर और हम सबों पर इसका बहुत बुरा आघात पड़ेगा। अब मैं सरकार का ध्यान सहरसा जिले की सड़कों की तरफ ले जाना चाहता हूं। वहां की सड़कों की हालत बदतर होती जा रही है। बीहपुर से बीरपुर जो सड़क गई है सिर्फ उसमें पी० डब्लू० डी० के द्वारा काम चल रहा है। लेकिन और सड़कों पर धूल उड़ा करती है। अन्य कई प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें पी० डब्लू० डी० द्वारा निर्माण किया जाना चाहिये, इसलिये मेरा अनुरोध है कि हमारे मंत्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान दें। सहरसा जिले की सड़कों की हालत सुधारने में कोई

कसर उठा नहीं रखें। सड़कों के बीच जहां नदी पड़ती है उसमें फर्श वाली नाव प्रमुख स्थानों में दी जाय जिससे आवागमन में सुविधा हो। दूसरी बात में सिंचाई के बारे में कह देना अत्यन्त जरूरी समझता हूं। सोनवर्षा थाने के बड़ीवन कमलदह बांध में करीब-करीब दो हजार बिघा ऐसी जमीन है जहां कभी अत्यधिक पानी जमा रहने के कारण और कभी पानी के न रहने की वजह से फसल नहीं होती है। उन दो हजार बिघों की सिंचाई की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। इसके संबंध में अनेकों दरखास्तें भी पड़ी हैं कि वहां से पानी निकाला जाय, सदन में प्रश्नोत्तर में वस्तुस्थिति को स्वीकार भी किया गया है। ऐग्रीकल्चरल आफिसरों को बराबर इसके लिए ऐप्रोच किया गया और उन्हें दरखास्तें भी दी गयीं। सिंचाई मंत्री को भी कहा गया और दर्खास्त भी हमने दी लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं जान पड़ता है। अभी तक इंजीनियर, सुपरवाइजर या किसी एक्सपर्ट ने इसकी जांच भी नहीं की है। उस एलाके में एलेक्ट्रिकल तरीकों से भी पानी निकाला जा सकता है और वास्तव में उससे विशेष लाभ भी होगा। इसलिए मैंने इस ओर अब सरकार का ध्यान आकर्षित किया है कि जल्द से जल्द कुछ कार्रवाई इस ओर अवश्य करे। इन्हीं दो-चार शब्दों को कह कर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभा बुधवार, तिथि २९ फरवरी १९५६, को साढ़े आठ बजे दिन तक स्थगित की गई।

रघुनाथ प्रसाद,
सचिव, बिहार विधान सभा।

तिथि २८ फरवरी १९५६।

बि०स०मु० (एल० ए०) ९९—मोनो—८७०+१—२१-६-१९५६—के०बी० तथा अन्य